**ELECTRICITY CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM : CHANDBAD : BHOPAL 462 010.**

Phone:-2747352, E-mail ecgrfbpl.bhopal@gmail.com,

No.ECGRF/Orders/1006Bhopal, Date:22-10-2018

To,
The Webmaster,
O/o DGM (IT),
MPMKVVCL, Nishtha Parisar,
Govindpura, Bhopal 462 023.

Sub:- Submission of Orders passed by the Forum, Bhopal in the month of Septermber.'2018

…

In compliance to provision made under clause 3.32 of Electricity Regulation (Revision-I) 2009, the orders passed by this forum during the month of September'2018 as detailed below are being sent herewith, both in hard and soft copy (E-mail) for uploading on the company's web site.

**September'2018**

| S.No. | Case No.&Dt. | Name of Applicant | Name of Non-applicant | Order Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बी.टी./13 25.07.2018 | श्री मकसूद अली, करोंद भोपाल। | उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल। | 10.09.2018 |
| 2 | बी.टी./07 16.05.2018 | मेसर्स औमेगा रेंक बैयरिंग प्रायवेट लि.मि. भोपाल। | महाप्रबंधक (सं/सं.) वृत्त म.प्र.म. क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल। | 14.09.2018 |
| 3 | बी.टी./06 16.05.2018 | मेसर्स औमेगा रेंक बैयरिंग प्रायवेट लि.मि. भोपाल। | महाप्रबंधक शहर (वृत्त) म.प्र.म.क्षे. वि.वि.कं.लि. भोपाल। | 07.08.2018 |
| 4 | जी.टी/125 15.02.2018 | श्री भानु प्रताप सिंह, पहाड़िया, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 12.09.2018 |
| 5 | जी. टी/0519. 04.2018 | श्री रामनारायण अग्रवाल हनुमान बाग, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल। | 14.09.2018 |
| 6 | जी.टी/19 15.05.2018 | श्री चक्रपान/ श्री पंछीराम, घाटीगॉव, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभागम.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 14.09.2018 |
| 7 | जी. टी/2915. 05.2018 | श्री निर्झर सिंह परिहार/श्रीमति मृदुला परिहार, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 15.09.2018 |
| 8 | जी. टी/3612. 06.2018 | श्री आर.एन. सक्सेना तानसेन,ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 15.09.2018 |
| 9 | जी. टी/4113. 06.2018 | श्री धीरज जैन, उपयोगकर्ता श्री मनोज वर्मा, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 19.09.2018 |
| 10 | जी. टी/8716. 01.2018 | श्री शालिगराम त्रिपाठी, बिरला नगर, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 12.09.2018 |
| 11 | जी.टी/39 13.06.2018 | श्री राम प्रसाद, हरिजन बस्ती, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 19.09.2018 |
| 12 | जी. टी/4716. 07.2018 | श्री केदारनाथ मंगाराम खण्डेलवाल , ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 20.09.2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | जी. टी/4916. 07.2018 | श्री डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता/ श्री एल.पी. गुप्त, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 20.09.2018 |
| 14 | जी. टी/5913. 08.2018 | श्री गिरीश कुमार पुत्र इदन दास गोलानी लश्कर,, ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 22.09.2018 |
| 15 | जी. टी/5813. 08.2018 | श्री कुलदीप सिंह कुशवाह/करण सिंह कुशवाह ग्वालियर। | उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर। | 22.09.2018 |

Encl: (15) Orders A/a.

**CHAIRPERSON**

**ECGRF BHOPAL**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 05/2018**

19.04.2018

श्री रामनारायण अग्रवाल,
पानी की टंकी के पास, हनुमान बाग,
ग्वालियर (म.प्र) **(आवेदक)**

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, दक्षिण),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.) **(अनावेदक)**

**आदेश**

**आज दिनांक 14.09.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/05दिनॉक 19.04.18 को पंजीकृत कर दिनांक10.05.18,07.06.18, 12.07.18, 09.08.18 एवं 06.09.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन किया गया कि मेरा विद्युत मीटर काफी दिनों से ज्यादा रीडिंग आ रही है, जिसकी सूचना काफी बार कर चुका हूॅ। जिससे हर महीने ज्यादा बिल आ रहा हैं। मैं इसे भरने में काफी असमर्थ हूॅ। कृपा करके मेरे विद्युत मीटर की परेशानी पर अवश्य ध्यान दें। उसका तुरन्त निराकरण करें। आपकी अति कृपा होगी।

5. **अनावेदक का कथन :-**अनावेदक द्वारा दि. 06.09.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक की शिकायत के आधार पर उपभोक्ता श्री राम नारायण अग्रवाल, सर्विस क्रमांक 4924562000 के परिसर की जॉच करने पर ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता के परिसर का कुल भार 881 वॉट हैं एवं उपभोक्ता की बिलिंग मीटर वाचन के आधार पर की जा रही हैं तथापि उपभोक्ता को संशय होता है कि बिल अधिक आ रहा हैं या मीटर अधिक खपत दर्ज कर रहा हैं तो उपभोक्ता कार्यालय में मीटर जॉच शुल्क जमा कर अपने मीटर की जॉच एल.टी./एम.टी. लेब में करा सकता हैं। तत्पश्चात मीटर जॉच के उपरांत यदि फास्ट पाया जाता हैं तो उसके अनुसार बिलिंग संशोधित की जायेगी।

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि दि. 07.06.18 को विद्युत संयोजन की उपयोगकर्ता श्रीमती रामदेवी फोरम के समक्ष उपस्थित हुई एवं प्रकरण में कथन किया कि मैं सिकन्दर कंपू, पानी की टंकी के पास, ग्वालियर में निवास करती हूॅ, जिसका विद्युत संयोजन क्र. 4924562000 है, जो कि घरेलू हैं। मेरा विद्युत मीटर तेज(ज्यादा) चल रहा हैं। मेरे विद्युत मीटर को टेस्ट कराया जायें, जिसकी टेस्टिंग चार्ज मैं भरने को तैयार हूॅ। मेरा मीटर टेस्ट लेब में टेस्ट कराया जावें। मेरा बिजली का मीटर माह सितम्बर 2017 से आज तक ज्यादा तेज चल रहा हैं। मीटर टेस्ट कराने के बाद मेरे विद्युत बिल सितम्बर 2017 से संशोधित किये जावें, ताकि मैं उनका भुगतान कर सकूॅ।

दि. 09.08.18 को अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि उपभोक्ता शिकायत के आधार पर श्री रामनारायण अग्रवाल के नाम से विद्युत संयोजन क्र. 4924562000 है, के परिसर की जॉच की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि परिसर का कुल विद्युत भार 881 वॉट हैं एवं उपभोक्ता की बिलिंग मीटर रीडिंग के आधार पर ही की जा रही है तथापि उपभोक्ता को संशय हैं कि बिल अधिक आ रहा हैं तो उपभोक्ता विद्युत कंपनी कार्यालय में मीटर टेस्टिंग शुल्क जमा कराकर अपने विद्युत मीटर की जॉच टेस्टिंग लेब ग्वालियर में करा सकता है। तत्पश्चात मीटर यदि तेज पाया जाता हैं तो उसके अनुसार आवेदक के विद्युत बिलों में संशोधन कर दिया जावेगा।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देश दिया गया कि आवेदक के विद्युत मीटर को निम्न दाब विद्युत मीटर टेस्टिंग लेब ग्वालियर में मीटर की जॉच कराने हेतु मीटर टेस्टिंग शुल्क जमा करने हेतु आवेदक को पत्र जारी करें तथा आगामी पेशी दिनांक पर मीटर टेस्ट कराकर मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

दि. 12.07.18 अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि फोरम के निर्देशानुसार मीटर की जॉच कराने हेतु आवेदक से मीटर टेस्टिंग शुल्क जमा कराकर टेस्टिंग रिपोर्ट फोरम के समक्ष प्रस्तुत हेतु निर्देश दिये गये थें, लेकिन आवेदक ने मीटर टेस्टिंग फीस जमा करने हेतु कोई रूचि नहीं दर्शाई गई। अतः शिकायत की जॉच करने पर यह पाया गया कि आवेदक को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत देयक जारी किये जा रहे हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने का निवेदन हैं।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि श्री रामनारायण अग्रवाल/श्री बुद्धिलाल के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्र. 4924562000 है, जिसका संयोजित विद्युत भार 1500 वॉट, सिकन्दर कंपू, तेल मिल के पास, कोडेरा कोठी, हनुमान बंध, ग्वालियर में हैं, का विद्युत मीटर माह सितम्बर 2017 से आज तक तेज चल रहा हैं। इसलिये अधिक राशि के विद्युत बिल आ रहे हैं। अतः विद्युत मीटर निम्न दाब विद्युत मीटर टेस्टिंग लेब, ग्वालियर में मीटर की टेस्टिंग (जॉच) कराई जावें, जिसकी टेस्टिंग शुल्क का भुगतान

करने को मैं तैयार हूॅ तथा मेरे विद्युत बिल जो अधिक राशि के माह सितम्बर 2017 से आज तक जारी हुए हैं, उन्हें संशोधित किया जावें ताकि मैं उनका भुगतान कर सकूॅ।

अनावेदक द्वारा आवेदक को दिनांक 15.08.2018 को पत्र क्रमांक 224, दिनांक 15.08.18 द्वारा मीटर टेस्टिंग शुल्क रूपये 75/– जमा करने हेतु जारी किया गया था। पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी आवेदक द्वारा मीटर टेस्टिंग शुल्क जमा न कराकर मीटर टेस्ट कराने में कोई रूचि नहीं दिखाई तथा फोरम के समक्ष भी पेशी दिनांक 08. 06.18, 12.07.18, 09.08.18 एवं 06.09.18 को उपस्थित नहीं हुए।

अतः गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि माह जनवरी 2014 से जून 2018 तक आवेदक को उसके मीटर में दर्ज खपत के अनुसार ही विद्युत देयक जारी किये गये हैं तथा विद्युत खपत का पैटर्न भी वर्षवार एवं माहवार जनवरी 2014 से जून 2018 तक लगभग सामान्य है। अतः आवेदक को जारी विद्युत देयकों में कोई राहत दी जाना संभव नहीं हैं।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता है।दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 14/09/18
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)**
**सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम /  भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री रामनारायण अग्रवाल,
पानी की टंकी के पास, हनुमान बाग,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 14 / 09 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–05 / 2018) दिनांक19.04.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 14 / 09 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–05 / 2018 दिनांक 19.04.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 14 / 09 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....



(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 19/2018**

15.05.2018

श्री चक्रपान/श्री पंछीराम
ग्राम पार, ब्लाक घाटीगॉव, **(आवेदक)**
ग्वालियर (म.प्र)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(संचा./संधा.संभाग), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक 14.09.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

**2.** आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/19दिनॉक 15.05.18 को पंजीकृत कर दिनांक07.06.18, 12.07.18, 09.08.18 एवं 06.09.18को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखा।

**4.** **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किमेरा कनेक्शन क्रमांक 99–2–341370 लरम चक्रपान/पंछीराम हैं, जो कि माह फरवरी 2017 से सूखा हैं। जिसकी बिलिंग अस्थाई रूप से बंद करने की कृपा की जायें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 09.08.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 5747/2017/तेरह भोपाल दिनांक 06 सितम्बर 2017 में बिजली की बकाया राशि के कारण बंद ट्रांसफार्मर से बिलिंग के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं, जिसमें विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 1.3 के अनुसारः–

अमीटरीकृत उपभोक्ता, जिन्होंने भुगतान में चूक नहीं की हों, के लिये लगातार दस दिन या अधिक अवधि के लिये विद्युत प्रदाय बंद रहने पर ऐसी अवधि की बिलिंग निम्नानुसार की जाएः–

(अ) ऊर्जा प्रभार की बिलिंग निर्धारित मासिक खपत(Norms) के अनुसार प्रयोज्य मासिक ऊर्जा प्रभार के विद्युत प्रदाय दिवस संख्या के आधार पर आनुपातिक राशि (Prorata Amount) के अनुसार।

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

(ब) अन्य प्रभार की बिलिंग विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कण्डिका 11.3 ब के अनुसार अर्थात कंपनी के नियमानुसार यदि कंपनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय किये जाने में चूक होने की स्थिति में उपभोक्ता को प्रदाय विद्युत दिवसों की अवधि का ही विद्युत देयक उपभोक्ता से प्राप्त किया जावेगा। चूँकि उपभोक्ता का कनेक्शन फ्लेट रेट कृषि पंप की श्रेणी में हैं। इस कारण उपभोक्ता की बिलिंग अस्थाई रूप से बंद नहीं की जा सकती एवं न ही राशि माफ की जा सकती हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया किआवेदक श्री चक्रपान/श्री पंछीराम के नाम से एक कृषि पंप विद्युत संयोजन क्रमांक 99–2–341370, 5 अश्व शक्ति कृषि कार्य हेतु ग्राम पार ब्लॉक घाटीगॉव जिला ग्वालियर में स्थित हैं। आवेदक ने अपने आवेदन में निवेदन किया कि उसका कृषि पंप बारिश न होने के कारण पिछले दो वर्षों से बंद हैं, जिसका बिजली बिल, विद्युत कंपनी द्वारा दिया जा रहा हैं। आवेदक द्वारा बिजली कंपनी के कार्यालय में आवेदन दिया गया हैं, परन्तु बिल अभी तक आ रहा हैं। बोर सूखा होने के कारण विद्युत पंप फरवरी 2017 से बंद हैं, जिसकी बिलिंग अस्थाई रूप से जितने दिन सूखे के कारण पंप नहीं चला हैं, उस अवधि का बिल माफ करने की कृपा करें।

दिनांक 09.08.2018 को अनावेदक ने कथन किया कि आवेदक द्वारा ट्यूबवेल (बोर) सूखा होने के संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य वितरण केन्द्र कार्यालय में नहीं दिया गया हैं। आवेदक का कृषि पंप ट्यूबवेल विद्युत कनेक्शन फ्लेट रेट श्रेणी के अन्तर्गत आता हैं। इस कारण बिल को अस्थाई रूप से बंद किया जाना संभव नहीं हैं। आवेदक द्वारा विद्युत का उपयोग किया गया हैं एवं निरन्तर रूप से विद्युत प्रदाय किया गया हैं। आवेदक का यह कहना कि बोर सूखा होने के कारण विद्युत का उपयोग नहीं किया गया हैं, असत्य एवं निराधार हैं। आवेदक द्वारा उसका बोर सूखा होने के संबंध में दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। आवेदक द्वारा विद्युत कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर बिलिंग बंद कर दी जायेगी। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करें।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री चक्रपान/श्री पंछीराम ग्राम पार, ब्लॉक घाटीगॉव जिला ग्वालियर ने फोरम के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उसका कृषि पंप(ट्यूबवेल) पिछले दो वर्षों से बारिश नहीं होने के कारण सूख गया हैं, जिस कारण कृषि पंप नहीं चला हैं। अतः उसे, जिस अवधि में पंप नहीं चला हैं, उस अवधि का विद्युत बिल माफ किया जावें एवं उस अवधि में उसके पंप को अस्थाई रूप से बंद किया जावें।

आवेदक ने अपने कृषि पंप के बोर(ट्यूबवेल) सूख जाने के तथा कृषि पंप का उपयोग न होने के कोई लिखित प्रमाण फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

आवेदक को लगातार सूचित करने के उपरांत भी सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 07.06.18, 12.07.18, 13.07.18, 09.08.18 एवं 06.09.18 को किसी पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ हैं। जबकि फोरम द्वारा आवेदक को सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु लगातार पत्र जारी कर सूयना दी गई हैं।

अतः मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग(उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा लोकपाल की स्थापना ) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 के अध्याय 3 की कण्डिका 3.25 (ग) ''जहॉ शिकायतकर्ता फोरम के समक्ष सुनवाई की दिनांक को उपस्थित रहने में असफल रहता हैं तो ऐसी दशा में फोरम या तो शिकायत को अनुपस्थिति–दोष के लिये खारिज कर सकेगा या गुण–दोष के आधार पर विनिश्चित कर सकेगा।

उपरोक्त कण्डिका के परिप्रेक्ष्य में आवेदक को लगातार दिनांक 07.06.18, 12.07.18, 13.07.18, 09.08.18 एवं 06.09.18 को सूचित करने के उपरांत भी सुनवाई हेतु फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ हैं। अतः प्रकरण निरस्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 14 / 09 / 2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम /  भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री चक्रपान / श्री पंछीराम
ग्राम पार, ब्लाक घाटीगॉव,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 14 / 09 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–19 / 2018) दिनांक15.05.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 14 / 09 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(संचा. / संधा संभाग), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–19 / 2018 दिनांक 15.05.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 14 / 09 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 29/2018**

15.05.2018

श्रीनिर्झर सिंह परिहार/श्रीमती मृदुला परिहार,
डॉ. महेश शर्मा के सामने, शिवाजी नगर,
आम खो, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र) **(आवेदक)**

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, दक्षिण),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.) **(अनावेदक)**

**आदेश**

**आज दिनांक 15.09.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./29दिनॉक 15.05.18 को पंजीकृत कर दिनांक08.06.18, 12.07.18, 09.08.18 एवं 06.09.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि प्रार्थी विगत 18 वर्षों से एम.पी.ई.बी. का जिम्मेदार उपभोक्ता हूॅ। हमारा परिवार 02 सदस्यों का रहा हैं तथा विद्युत कनेक्शन मेरी माता श्रीमती मृदुला परिहार के नाम हैं। विगत अवधि में हमें दो IVRS क्र. प्रदान किये जा चुके हैं। जो निम्न हैं। :-

   (I) 394353052035005 (पूर्व)

   (II) 3760562000 (वर्तमान)

   पूर्व IVRS क्र. के अन्तर्गत विद्युत बिलों में काफी अनियमितायें संज्ञान में आई हैं तथा समय समय पर अकारण ही अनावश्यक रूप से अनुचित आंकलित खपत जोड़ जोड़कर अधिक राशि वसूल की गई हैं, जिससे एक शासकीय क्षेत्र प्राप्त होने वाली सेवाएं संदेह के दायरे में आती हैं तथा विश्वसनीयता भी घटती हैं। अतः निवेदन हैं कि कृपया मेरी अभी तक के समस्त बिलों की जॉच करवा कर मुझ द्वारा जमा की गई अतिरिक्त राशि विद्युत खाते में जुड़वाने की कृपा करें।

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

5. **अनावेदक का कथन :**–अनावेदक द्वारा दिनांक 06.09.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि कंपनी नियमानुसार धारा 135/126 में बिलिंग पिछले एक वर्ष तक लेते हैं एवं मीटर बंद एवं चोरी प्रकरण में पिछली दो वर्ष से ज्यादा बिलिंग नहीं की जा सकती हैं। उपभोक्ता द्वारा वर्ष 2005–2008 के बीच कोई आवेदन बिल सुधार हेतु नहीं दिया गया था। बिल सुधार के संबंध में चैक रिपोर्ट के अनुसार 1500 वॉट लोड पाया गया। लोड के अनुसार मीटर में यूनिट नहीं आ रहे हैं। अतः पुराना मीटर खराब होना प्रतीत हैं। अतः क्यों न वर्तमान खपत के अनुसार पुरानी खपत को समायोजित किया जावें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि

आवेदक श्री निर्भर सिंह अपनी माता जी श्रीमति मृदुल परिहार के नाम का एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424305–42–2–3760562000 संयोजित विद्युत भार 1500 वाट, शिवाजी नगर आम खो डॉ. महेश शर्मा के सामने लश्कर ग्वालियर में स्थित है का उपयोग करते है। के विद्युत देयकों में मई 2005 से मई 2018 तक की अवधि मीटर खपत के साथ आंकलित खपत के विद्युत देयक अनावेदक द्वारा जारी किये जाने के कारण विद्युत देयको से आंकलित खपत हटाकर मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत देयक संशोधित करने का फोरम से निवेदन किया गया है।

अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि उपभोक्ता ने वर्ष 2005 से 2008 की अवधि में कभी विद्युत बिलों में सुधार हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया। उपभोक्ता के परिसर में संयोजित विद्युत भार 1500 वाट है के अनुसार विद्युत मीटर में विद्युत खपत नही दर्ज हो रही उक्त अवधि में। अतः कम खपत मीटर में दर्ज होना मीटर खराब होने के कारण प्रतीत होता है। क्यों न वर्तमान खपत के अनुसार उक्त अवधि को विद्युत खपत को वर्तमान में मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत देयक संशोधित किया जावे। आवेदक के माह मई 2016 एवं सितम्बर 2017 के विद्युत देयकों में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर आवेदक के विद्युत बिल संशोधित कर दिये गये है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष किये गये कथनों के अनुसार विवेचना उपरांत फोरम ने यह पाया कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त उपभोक्ता पासबुक के अनुसार मई 2005 से मई 2018 की अवधि में आवेदक को मई 2005 से मार्च 2011 तक आवेदक के विद्यत मीटर की मीटर रीडर द्वारा सही रीडिंग न लेकर अपने मन से रीडिंग ली होगी या आवेदक का विद्युत मीटर खराब होगा या फीट आवेदक ने मीटर रीडर से मीलकर अपने हिसाब से रीडिंग ली होगी। मुख्य रूप से इसमें यह प्रतीत होता है कि मीटर रीडर द्वारा प्रतिमाह रीडिंग न लेकर अपने मन से डायरी में रीडिंग नोटकर कम्प्यूटर में पंच की होगी तथा इस अवधि में आवेदक के परिसर में संयोजित विद्यत भार 1500 वाट के अनुसार भी विद्युत खपत मीटर में कम दर्ज हुई है तथा आंकलित खपत लगाकर भी लगभग 150 यूनिट प्रतिमाह से कम खपत के विद्युत देयक जारी

किये गये है। जबकि अप्रैल 2011 से लगातार मीटर रीडिंग के विद्युत देयक जारी किये गये है एवं प्रतिमाह वर्ष वार औसत खपत निम्नानुसार मीटर में दर्ज हुई है।

| क्रमांक | वर्ष | मीटर में दर्ज खपत + आंकलित खपत जो बिल की गई | औसत खपत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2005<br>9 माह | 526 | 58 |
| 2 | 2006 | 947 | 79 |
| 3 | 2007 | 916 | 76 |
| 4 | 2008 | 997 | 83 |
| 5 | 2009 | 1069 | 91 |
| 6 | 2010 | 1491 | 124.25 |
| | | | |
| | | मीटर में रीडिंग अनुसार दर्ज खपत के जारी बिल | |
| 8 | 2012 | 2454 | 204.5 |
| 9 | 2013 | 2573 | 214.4 |
| 10 | 2014 | 2233 | 186 |
| 11 | 2015 | 1658 | 138 |
| 12 | 2016 | 1994 | 166 |
| 13 | 2017 | 1878 | 156.5 |
| 14 | 2018<br>7 माह | 1271 | 181.5 |

अतः उपरोक्त वर्ष वार एवं माह वार औसत खपत को देखते हुए फोरम इस नतीजे पर पहुचा की आवेदक को वर्ष 2005 से फरवरी 2011 तक की अवधि में मीटर रीडिंग ठीक से न लेकर आंकलित खपत लगाकर भी कम खपत लेकर दिये गये विद्युत देयक आवेदक के परिसर में संयोजित विद्युत भार के अनुसार खपत से भी कम खपत के बिद्युत देयक दिये गये। जबकि अप्रैल 2011 के बाद आवेदक के मीटर की रीडिंग ठीक से लेकर जुलाई 2018 तक मीटर में दर्ज खपत से काफी कम खपत के विद्युत देयक दिये गये है। अतः आवेदक को अप्रैल 2005 से फरवरी 2011 तक की अवधि में लगाई गई आंकलित खपत की राहत दिया जाना उचित नही है। क्योकि यह खपत आवेदक के परिसर के संयोजित विद्युत भार 1500 वाट एवं चैकिंग में पाये गये विद्युत भार 2019 वाट के अनुसार खपत दर्ज नही हुई है। माह मई 2016 एवं सितम्बर 2017 में जो आंकलित खपत लगाई गई थी उसे हटाकर मीटर में दर्ज खपत अनुसार विद्युत देयक संशोधित कर दिये गये है। जो कि नियमानुसार एवं न्याय संगत है। अतः प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 15/09/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री निर्झर सिंह परिहार / श्रीमती मृदुला परिहार,
डॉ. महेश शर्मा के सामने, शिवाजी नगर,
आम खो, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 15 / 09 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–29 / 2018) दिनांक15.05.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 15 / 09 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–29 / 2018 दिनांक 15.05.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 15 / 09 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 36/2018**

12.06.2018

श्री आर.एन. सक्सेना
मनमन्दिर टॉकीज के पास,
प्रसाद सुरभि होम के पास,
तानसेन, ग्वालियर (म.प्र)

**(आवेदक)**

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, उत्तर),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

**(अनावेदक)**

**आदेश**

**आज दिनांक 15.09.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./36दिनॉक 12.06.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.07.18, 09.08.18 एवं 06.09.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि प्रार्थिनी का मात्र 1300 वर्ग फुट का एक छोटा प्लाट होकर मात्र तीन कमरे बने हुए हैं। जिसका प्रार्थिनी प्रत्येक माह कभी पूरा, कभी पी पी राशि जमा करवा देती हैं। सारी जमा प्रत्येक माह रेग्युलर रूप से हो रही हैं। विद्युत मीटर निरन्तर चालू हैं जो काफी तेज भागता हैं। जिसकी प्रार्थिनी द्वारा शिकायत भी की गई थीं, परन्तु आज दिनांक तक मीटर चैक नहीं किया। जब मीटर निरन्तर चालू हालत में हैं, परन्तु गत लगभग एक डेढ़ वर्ष से कोई रीडिंग लेने नहीं आता तथा अनुमान के आधार पर बिल बनाकर भेज देते हैं। फिर भी प्रार्थिनी निरन्तर जमा कर रही हैं। गत माह मई 18 में रूपये 5000/- जमा कराये तथा इस माह फिर से रूपये 5000/- जमा कराये गये। इसके बावजूद प्रार्थिनी को मात्र तीन कमरों के मकान का एक दम एक लाख रूपये का बिल भेज दिया गया जबकि प्रार्थिनी द्वारा इतनी राशि की कभी कंज्यूम नहीं किया गया। यह राशि मनगढन्त अनुमान से बिना मीटर की रीडिंग लिये लिख कर बिल बनाकर भेजा गया हैं।

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

अतः प्रार्थना हैं कि अनुमान के आधार पर बनाया गया बिल निरस्त करने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 06.09.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि प्रकरण की सहायक यंत्री तानसेन जोन द्वारा जॉच की गई, जिसमें पाया गया कि उपभोक्ता को अवधि 08/16 से 05/18 तक लगभग 22 माह तक आंकलित खपत यक्त देयक भुगतान के लिये भेजे गये। 08/16 में उपभोक्ता की रीडिंग 25925 थीं तथा 05/18 को यह रीडिंग 36850 थीं। उक्त प्रकरण से सहायक यंत्री तानसेन जोन द्वारा चैक रिपोर्ट बनवाई गई हैं, जिसमें लोड 3315 वॉट पाया गया। प्रकरण के निराकरण की दृष्टि से माह 08/16 की रीडिंग 25925 को माह 05/18 की रीडिंग 3650 से कम करने पर 10925 यूनिट आते हैं। उक्त यूनिट 10925 के 22 माह से भाग देने पर 497 यूनिट बनते हैं। अवधि 08/16 से 05/18 तक के देयक 497 यूनिट प्रतिमाह के अनुसार संशोधित करते हुए उपभोक्ता को माह 08/18 में 49764/– रूपये का समायोजन किया जा रहा हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जा रहा हैं। अतः शिकायत निराकृत मानने का कष्ट करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में स्व. श्रीमती रक्षा सक्सेना पत्नि श्री गुरू प्रसाद सक्सेना के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424205–20–15–1325403000 है, अवगत कराया कि जिस परिसर में यह विद्युत कनेक्शन हैं, वह 1300 वर्ग फुट के एक प्लाट पर तीन कमरे बने हुए हैं, जिसमें वह रह रहे हैं एवं विद्युत का उपयोग कर रहें हैं, जिसके विद्युत बिलों का भी नियमित रूप से प्रत्येक माह भुगतान कर रहे हैं। परिसर में स्थापित कभी कभी बिलों का भुगतान पार्ट पेमेण्ट करते हैं। परिसर में स्थापित विद्युत मीटर निरन्तर चालू हैं, लेकिन काफी तेज चल रहा हैं, जिसकी शिकायत की गई थीं परन्तु, आज दिनांक तक विद्युत मीटर चैक नहीं किया गया, जबकि मीटर निरन्तर चालू हालत में हैं। लगातार एक डेढ़ वर्ष से कोई रीडिंग लेने नहीं आता था, अनुमान के आधार पर माहवार बिल देते हैं, फिर भी विद्युत बिलों का भुगतान किया। गत माह मई 17 में रूपये 5000/– जमा किये गये तथा इस माह फिर से रूपये 5000/– जमा किये गये। इसके बावजूद आवेदक को एक लाख रूपये का बिल दिया गया, जबकि उसके द्वारा इतनी राशि की बिजली का उपयोग भी नहीं किया गया। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि मुझे मीटर रीडिंग के अनुसार विद्युत बिल दिया जावें तथा आंकलित खपत के बिल निरस्त किये जावें।

आवेदक ने दिनांक 09.08.18 को प्रकरण में कथन किया कि आवेदक की शिकायत प्राप्त होने पर सहायक यंत्री तानसेन जोन, ग्वालियर द्वारा प्रकरण की जॉच की गई, जिसमें पाया गया कि उपभोक्ता को अवधि माह अगस्त 16 से मई 18 तक लगभग 22 माह आंकलित खपत युक्त देयक भुगतान हेतु जारी किये गये। माह अगस्त 16 में उपभोक्ता की रीडिंग 25925 थीं तथा मई 18 में यह रीडिंग 36850 हो गई। निराकरण की दृष्टि से जोन प्रभारी द्वारा चैक रिपोर्ट बनवाई गई, जिसमें लोड 3315 वॉट पाया

गया। अगस्त 16 की रीडिंग 25925 को माह मई 18 की रीडिंग 37850 में से कम करने पर 10925 यूनिट आते हैं। इस यूनिट को 22 माह में विभाजित करने पर प्रति माह 497 यूनिट खपत आती हैं। अतः माह अगस्त 16 से मई 18 की 22 माह की अवधि में 497 यूनिट प्रतिमाह खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित करते हुए संशोधन उपरांत राशि रू. 49764/– का समायोजन किया जा रहा हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक को उसके परिसर में स्थापित सिंगल फेज घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424205–20–15–1325403000 के विद्युत मीटर रीडिंग माह जुलाई बिल्ड अगस्त 16 से मार्च बिल्ड अप्रैल 18 तक मीटर रीडिंग न ली जाकर आंकलित खपत के विद्युत देयक उपभोक्ता को जारी किये गये, जबकि मीटर चालू था। उक्त जारी विद्युत देयकों का उपभोक्ता द्वारा भी नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहा। उसके उपरांत 26 अप्रैल 18 को मीटर में दर्ज रीडिंग 36850 एवं विद्युत खपत 10925 यूनिट का विद्युत देयक रूपये 10,4568/–का जारी किया गया। जिसे संशोधित करने हेतु आवेदक ने फोरम के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की हैं। आवेदक लगातार सुनवाई पेशी दि. 13.07.18, 09.08.18 व 06.09.18 को फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ हैं।

अतः शिकायत के निराकरण में अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज एवं किये गये कथनों के अनुसार गुण–दोष के आधार पर विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक को माह जून बिल्ड जुलाई 2016, 21 जून 2016 को मीटर में दर्ज रीडिंग 25925 तथा विद्युत खपत 400 यूनिट के पश्चात अगस्त 2016 से अप्रैल 2018 तक अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत मीटर की रीडिंग न लेकर आंकलित खपत के विद्युत देयक दिये गये, जिनका भुगतान भी आवेदक द्वारा किया जाता रहा हैं, जबकि आवेदक का विद्युत मीटर सही कार्य कर रहा था। यह अनावेदक की सेवा में कमी को प्रदर्शित करता हैं। दिनांक 26 अप्रैल 2018 को मीटर में दर्ज रीडिंग 36850 एवं विद्युत खपत 10925 यूनिट, जो कि माह अगस्त 2016 से अप्रैल 2018 तक में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर माह मई 2018 में इकठ्ठी दर्ज खपत 10925 यूनिट को उपरोक्त 22 माहों में बराबर विभाजित कर प्रति माह 497 यूनिट खपत लेकर विद्युत देयक संशोधन उपरांत आवेदक को रूपये 49764/– का समायोजन किया जाना फोरम के समक्ष स्वीकार किया हैं, जो कि नियमों के अनुसार एवं न्यायसंगत हैं।

इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं।

प्रकरण निराकृत समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 15/09/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)
सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)
पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल
(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री आर.एन. सक्सेना
मनमन्दिर टॉकीज के पास,
प्रसाद सुरभि होम के पास,
तानसेन, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 15 / 09 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–36 / 2018) दिनांक12.06.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 15 / 09 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–36 / 2018 दिनांक 12.06.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 15 / 09 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 39/2018**

13.06.2018

श्री राम प्रसाद
वार्ड क्र. 5, एफ–110, सागर ताल,
ब्लाक नंबर 11, आईएचआरडीपी योजना,
हरिजन बस्ती, ग्वालियर (म.प्र)

**(आवेदक)**

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, उत्तर),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

**(अनावेदक)**

**आदेश**

**आज दिनांक 19.09.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./36दिनॉक 13.06.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.07.18, 09.08.18 एवं 06.09.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किआई.एच.एस.डी.पी. के तहत सागर ताल के भवनों मे रह रहें निवासी को बिजली मीटर नहीं लगाये जा रहे हैं। करीब एक माह पहले नगर निगम ने सूची पहुॅचा दी। जलालपुर चौराहें के पास में बिजली विभाग के दफ्तर पर चक्कर लगाकर परेशान हो गये हैं। वहॉ पर कनोजिया सर से कहा कि हमारे मीटर लगा दो, जिससे गर्मी में परेशान न हों, उल्टा बोल पड़े कि अगस्त में लगेंगे। मान्यवर आपसे विनती हैं कि जल्द से जल्द मीटर लगवाने की इजाजत दें हम लोग सही समय पर नियम के तहत बिल भरना चालू करें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 06.09.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि प्रकरण की सहायक यंत्री लधेड़ी जोन द्वारा जॉच की गई एवं जॉच उपरांत बताया गया कि उक्त क्षेत्र में नये विद्युत संयोजन प्रदाय करने हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजा गया था, लेकिन उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि जहॉ विद्युत संयोजन

किया जाना हैं, वहॉ केबल, बोर्ड तथा अन्य आवश्यक सामग्री न होने से विद्युत संयोजन का कार्य नहीं किया जा सका। इस बाबत् सहायक यंत्री, लधेड़ी जोन कार्यालय द्वारा सहायक यंत्री, विद्युत विभाग, नगर निगम ग्वालियर को पत्र क्रमांक 191, दिनांक 20.07.2018 से तथा आयुक्त नगर निगम ग्वालियर को पत्र क्रमांक 192 दिनांक 20.07.2018 से शेष बचा विद्युतीकरण से संबंधित कार्य शीघ्र संपन्न कराने का आग्रह किया गया, ताकि हितग्राहियों को नये विद्युत संयोजन प्रदाय किये जा सकें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक ने अपने आवेदमे ं श्री रामप्रसाद वार्ड क्रमांक 5, एफ 110, सागर ताल ब्लॉक 11, आई.एच.डी.पी. योजना के तहत हरिजन बस्ती रचना, ई 103, ब्लॉक 12 में गरीबों के आशियानें तैयार किये गये भवनों में रहने वाले गरीबों को बिजली न होने के कारण परेशानी उठाना पड़ रही हैं, जबकि नगर निगम ने उक्त परिसर की सूची विद्युत विभाग में पहुॅचा दी गई हैं, के उपरांत भी विद्युत मीटर नहीं लगाये जा रहे हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि वार्ड 5, सागर ताल, ई ब्लाक 11, एफ 110 श्री रामप्रसाद एवं ई ब्लाक 12, ई–103 श्री रचना श्रीवास के आवास में विद्युत मीटर शीघ्र लगाकर विद्युत संयोजन दिये जाने का निवेदन हैं।

दिनांक 09.08.2018 को अनावेदक ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि आवेदक की शिकायत प्राप्त होने पर सहायक यंत्री, लधेड़ी जोन, ग्वालियर द्वारा जॉच की गई, जिसमें पाया गया कि शिकायत कर्ता के क्षेत्र/परिसर में विद्युत संयोजन प्रदाय करने हेतु जोन में पदस्थ कर्मचारी को भेजा गया था। लेकिन उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि जहॉ पर विद्युत कनेक्शन किया जाना हैं, वहॉ पर केबल बोर्ड एवं अन्य आवश्यक सामग्री न होने से विद्युत संयोजन का कार्य नहीं किया जा सका। इस बाबत् सहायक यंत्री, लधेड़ी जोन, ग्वालियर द्वारा सहायक यंत्री (विद्युत) नगर निगम, ग्वालियर को पत्र क्रमांक 121/12.07.18 से विद्युतीकरण का कार्य कराने हेतु अनुरोध किया गया कि उक्त कार्य सम्पन्न होने पर हितग्राहियों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जा सकेंगे। इस प्रकार आवेदक को भी विद्युत कनेक्शन प्रदाय कर शिकायत का निराकरण कर दिया जायेगा। अतः प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि शासन की आई.एच.एस.डी.पी. योजना के तहत सागर ताल क्षेत्र में गरीब लोगों को आशियाने बनाकर दिये गये हैं, जिसके तहत आवेदक श्री रामप्रसाद वार्ड नंबर 5, सागर ताल, ई ब्लाक 11, एफ 110 का परिसर आवंटित हुआ हैं, में विद्युत कनेक्शन न होने से संबंधित यह शिकायत की गई हैं।

आई.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत वार्ड क्रमांक–5, सागर ताल क्षेत्र के ई ब्लाक 11 एवं 12 मकान क्रमांक एफ 110 एवं 103 श्री रामप्रसाद एवं रचना श्रीवास को मकान

आवंटित हुआ हैं, लेकिन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उसे नया विद्युत संयोजन नहीं किया जा सका, जिसका मुख्य कारण उक्त भवनों में केबल, बोर्ड एवं अन्य आवश्यक सामग्री, भवन निर्माण करने वाली एजेंसी द्वारा नहीं दिये जाने के कारण विद्युत संयोजन नहीं हो पाये। इसके लिये सहायक यंत्री (विद्युत) नगर निगम, ग्वालियर को पत्र क्रमांक 121/12.07.18 से अवगत कराया दिया गया हैं। अतः उक्त अपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाने पर संयोजन कर दिया जायेगा। अतः नगरनिगम द्वारा आवेदक के परिसर में केबल, बोर्ड एवं अन्य विद्युत उपकरण लगाये जाने पर आवेदक के परिसर में विद्युत मीटर लगाकर विद्युत संयोजन प्रदाय कर दिया जायेगा।

इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का निराकरण उनके भवनों में केबल, बोर्ड एवं अन्य सामग्री लग जाने पर आवेदक का विद्युत संयोजन कर दिया जाएगा।

फोरम द्वारा प्रकरण में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक जवाब को मान्य किया जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

प्रकरण निराकृत।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 19/09/2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम /  भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री राम प्रसाद
वार्ड क्र. 5, एफ–110, सागर ताल,
ब्लाक नंबर 11, आईएचआरडीपी योजना,
हरिजन बस्ती, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 19 / 09 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–39 / 2018) दिनांक13.06.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 19 / 09 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–39 / 2018 दिनांक 13.06.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 19 / 09 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 41/2018**

13.06.2018

श्री धीरज जैन उपयोगकर्ता श्री मनोज वर्मा
मानव पैथालाजी लेब, रॉक्सी पुल के पास, **(आवेदक)**
लक्कड़खाना रोड, मेजर होटल के पास,
ग्वालियर (म.प्र)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक19.09.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./41दिनॉक 13.06.18 को पंजीकृत कर दिनांक13.07.18, 09.08.18 एवं 06.09.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :**—आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किसर्विस क्रमांक 45—12—7424362000, जो कि रॉक्सी पुल के पास लगा हैं, कभी चलने लगता हैं, कभी अपने आप बंद हो जाता हैं। पूर्व में भी ऐसा होता रहा हैं, किन्तु पिछले दो माह से मीटर बंद हो गया हैं, जिसकी रिपोर्ट मीटर रीडर ने रीडिंग बुक में दर्ज की हैं। बिल में आंकलित खपत 120 यूनिट लगाई गई हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया डिफेक्टिव मीटर को बदलवाये जाने हेतु उचित आदेश कर बदलवाया जावें।

5. **अनावेदक का कथन :**—अनावेदक द्वारा दिनांक 06.09.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक द्वारा मीटर बंद हो गया हैं, मीटर बदला जावें संबंधित शिकायत की गई थीं, जिसके संबंध में उपभोक्ता का मीटर बदलवा कर शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः—** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

आवेदक ने फोरम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री धीरज/श्री मांगीलाल जैन के नाम से एक गैर घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 45–12–7424362000, संयोजित विद्युत भार 1000 वॉट, छुट्टा की बहरिया, रॉक्सी पुल के पास, मेजर करतार होटल रोड, कंपू ग्वालियर में स्थित हैं। विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर कभी चलता हैं एवं कभी कभी अपने आप बंद हो जाता हैं। पूर्व में भी ऐसा होता रहा है, किन्तु पिछले 2 माह से मीटर बंद हो गया हैं, जिसकी लिखित रिपोर्ट मीटर रीडर के मीटर डायरी में भी नोट की हैं। विद्युत बिल में आंकलित खपत 120 यूनिट लगाई गई हैं। अतः आपसे निवेदन हैं कि मेरा बंद/खराब मीटर बदलवाने का निवेदन हैं।

दिनांक 06.09.2018 को अनावेदक द्वारा प्रकरण में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक की शिकायत उसका बंद/खराब विद्युत मीटर न बदलने से संबंधित हैं। आवेदक की दुकान/परिसर बंद रहने के कारण उनका मीटर नहीं बदला जा सका था। दिनांक 04.09.2018 को आवेदक का मीटर बदल दिया गया हैं। मीटर परिवर्तन रिपोर्ट फोरम के समक्ष प्रस्तुत हैं।

आवेदक दिनांक 13.07.2018, 09.08.2018 एवं 06.09.2018 को सुनवाई हेतु किसी भी पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ हैं। आवेदक की मुख्य शिकायत उनके विद्युत संयोजन का विद्युत मीटर न बदलने को लेकर थीं, जिसे अनावेदक द्वारा दिनांक 04.09.2018 को बदल दिया गया हैं।

अतः आवेदक की शिकायत गुण–दोष के आधार पर निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं। इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं।

प्रकरण निराकृत समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 19/09/2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम /  भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री धीरज जैन उपयोगकर्ता श्री मनोज वर्मा
मानव पैथालाजी लेब, रॉक्सी पुल के पास,
लक्कड़खाना रोड, मेजर होटल के पास,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 19 / 09 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–41 / 2018) दिनांक13.06.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 19 / 09 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., मालनपुर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–41 / 2018 दिनांक 13.06.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 19 / 09 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –(ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 47/2018**

16.07.2018

श्री केदारनाथ मंगाराम खण्डेलवाल
उपयोगकर्ता श्री अरूण कुमार खण्डेलवाल, **(आवेदक)**
साठे की गोठ, दाना ओली,
ग्वालियर (म.प्र)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, केन्द्रीय), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक20.09.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

**2.** आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./47दिनॉक 16.07.18 को पंजीकृत कर दिनांक10.08.18 एवं 06.09.18 को सुना गया।

**3.** प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

**4.** **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किआवेदक के पिता स्व. श्री केदारनाथ के नाम से उक्त घरेलू कनेक्शन लगा हुआ था, जो 2 किलोवाट भार के लिये स्वीकृत था। उक्त कनेक्शन, जिस परिसर में लगा हुआ था, उक्त परिसर का वर्ष 12 से आवेदक अथवा आवेदक के पिता द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा हैं।

2. यह कि उक्त कनेक्शन के द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा के एवज में अनावेदक द्वारा जारी समस्त बिलों का भुगतान उपभोक्ता स्व.श्री केदारनाथ द्वारा किया जाता रहा हैं।

3. यह कि आवेदक के परिसर में लगे उक्त कनेक्शन का उपयोग न रहने से आवेदक के पिता द्वारा संबंधित जोन के इंजीनियर महोदय से मिलकर उक्त कनेक्शन को माह मई 12 में काटने बाबत् कहा था, जिस पर संबंधित जोन के इंजीनियर महोदय द्वारा आवेदक के पिता से यह कहा था कि उक्त कनेक्शन की एक माह की बिलिंग करने के बाद कनेक्शन को माह जून 12 में पी.डी.सी. कर दिया जायेगा।

4. यह कि आवेदक के पिता के उक्त निवेदन के पश्चात अनावेदक द्वारा माह जून 12 का संशोधित फाईनल बिल माईनस 1,061/– रूपये का जारी किया गया तथा आवेदक केपिता के परिसर में लगे उक्त कनेक्शन को अपने कर्मचारियों से खंबे से तार काटकर

विच्छेदित करा दिया गया। यहॉ यह उल्लेख करना आवश्यक हैं कि अनावेदक द्वारा उक्त कनेक्शन को खंबे से विच्छेदित करने के पश्चात उक्त कनेक्शन का मीटर आज दिनांक तक नहीं निकाला हैं।

5. यह कि माह जून 12 में कनेक्शन काटने के पश्चात से अनावेदक द्वारा आवेदक को उक्त कनेक्शन के बिल भेजना बंद कर दिया गया।

6. यह कि माह मई 18 में स्पॉट बिलिंग शुरू हो जाने के पश्चात अनावेदक के मीटर रीडर द्वारा उक्त कनेक्शन का उपयोग न होने तथा उक्त कनेक्शन के माह जून 12 में पी.डी.सी. होने के बाद भी आवेदक को उसके पिता के परिसर में लगे मीटर के आधार पर स्पॉट बिलिंग कर आंकलित खपत की रीडिंग अंकित करते हुए 31,414/– रूपये का बिल दिया गया, जबकि उक्त कनेक्शन को अनावेदक द्वारा पी.डी.सी. कराते समय आवेदक के पिता के नाम के उक्त कनेक्शन की 1,061/– रूपये की राशि अनावेदक की ओर बकाया निकल रही थीं, जो आवेदक को अनावेदक से प्राप्त होना थीं।

7. यह कि स्पाट बिलिंग का उक्त बिल प्राप्त होने के पश्चात आवेदक, अनावेदक के कार्यालय में गया तथा अनावेदक से उक्त माह मई 18 के बिल को निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर अनावेदक द्वारा आवेदक से कहा गया कि यह बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा, आगे से हम आपको कोई बिल नहीं देंगे तथा मीटर भी निकाल लेंगे।

8. यह कि अनावेदक द्वारा गलत आधार पर जारी माह मई 18 के बिल को निरस्त न करने एवं उक्त गलत बिल की राशि को जमा करने का दबाव बनाने के कारण आवेदक द्वारा यह अभ्यावेदन विधिक निराकरण हेतु माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

9. फोरम से वांछित राहत का स्वरूपः– यह कि अनावेदक द्वारा जारी माह मई 18 के बिल को निरस्त कराया जावें एवं आवेदक के कनेक्शन को पी.डी.सी. करने के माह जून 12 में आवेदक की अनावेदक विभाग पर उक्त कनेक्शन की निकल रही बकाया राशि 1,061/– रूपये आवेदक को वापिस दिलाई जावें। यह कि अन्य न्यायोचित सहायता, जो फोरम उचित समझें, दिलाई जावें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 09.08.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक के परिसर का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसर में मीटर लगा हैं, जिससे कोई उपयोग नहीं किया जाता हैं। इस कारण उपभोक्ता द्वारा जो निवेदन किया गया हैं कि उसे 1061/– रूपये लेना शेष हैं। प्रकरण में उपभोक्ता के परिसर से मीटर निकालकर फाल्स डिमाण्ड समाप्त कर दी गई हैं। उपभोक्ता पर वर्तमान में (–) 1061/– रूपये शेष हैं। अतः उपभोक्ता को सलाह दी जाती है कि यह राशि अपने किसी अन्य बिल में कार्यालय में संपर्क कर 1061/– रूपये की क्रेडिट ट्रांसफर करा सकता हैं। अतः उपभोक्ता का प्रकरण समाप्त किये जाने का कष्ट करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि दिनांक 10.08.18 को आवेदक प्रतिनिधि श्री राजेश मित्तल अधिवक्ता द्वारा फोरम के





समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि अनावेदक द्वारा जो क्रेडिट देना बताया

गया हैं, उसमें चर्चा हेतु समय मांगा हैं।

दिनांक 10.08.18 को अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक ने जो शिकायत की है कि, वह वर्ष 12 से विद्युत का उपयोग नहीं कर रहा हैं, लेकिन विद्युत बिल लगातार दिये जा रहे हैं, के संबंध में अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के परिसर की चैकिंग रिपोर्ट बनाकर फाल्स डिमाण्ड राशि रूपये 34915/– को निरस्त कर दिया गया हैं। उपभोक्ता को सलाह दी गई हैं कि वर्तमान में राशि रूपये (–) 1061/– को उपभोक्ता के अन्य विद्युत संयोजन के बिल में समायोजित कर दी जायेगी। आवेदक अन्य विद्युत संयोजन का सर्विस क्रमांक या बिल की छायाप्रति लगाकर एक आवेदन जोन कार्यालय में प्रस्तुत कर उक्त समायोजन का लाभ ले सकता हैं। आवेदक की शिकायत निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जाए।

दिनांक 06.09.18 को आवेदक प्रतिनिधि फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं प्रकरण के निराकरण के संबंध में अनावेदक द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी संतुष्टि प्रकट की एवं कथन किया कि निराकरण राजीनामा के आधार पर किया जावें।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक के विद्युत संयोजन क्रमांक 39435410–55–12–3010181 को माह जून 12 में स्थाई रूप से विच्छेदित करवाने के बाद माह जून 18 को राशि रूपये 31,807/– का विद्युत देयक दिया गया, जिससे व्यथित होकर आवेदक ने इसे निरस्त कराने तथा माह जून 12 में अनावेदक पर बकाया राशि रूपये 1061/– दिलाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत संयोजन की जॉच कर विद्युत संयोजन के स्थाई रूप से विच्छेदित होने के बाद जारी समस्त विद्युत बिलों को निरस्त कर विद्युत मीटर भी निकाल लिया गया हैं, जो कि पोल से कटा हुआ था एवं विद्युत का कोई उपयोग नहीं हो रहा था।

अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि वह आवेदक की बकाया राशि रूपये 1061/– को आवेदक के अन्य विद्युत संयोजन के विद्युत बिल में समायोजित करें। आवेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि वह अनावेदक के जोन कार्यालय में एक आवेदन के साथ अपने अन्य विद्युत संयोजन का बिल प्रस्तुत करें ताकि उनके बकाया राशि रूपये 1061/– उसके विद्युत बिल में समायोजितकी जा सकें।

इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। प्रकरण निराकृत समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 20/09/18
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक/वि.उ.शि.नि.फोरम/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री केदारनाथ मंगाराम खण्डेलवाल
उपयोगकर्ता श्री अरूण कुमार खण्डेलवाल,
साठे की गोठ, दाना ओली,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 20/09/2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–47/2018) दिनांक16.07.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 20/09/2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, केन्द्रीय), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–47/2018 दिनांक 16.07.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 20/09/2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र

प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः—निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 49/2018**

16.07.2018

डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता/श्री एल.पी. गुप्ता
24-ए, पंत नगर, महलगॉव , **(आवेदक)**
ग्वालियर (म.प्र)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक20.09.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./47दिनॉक 16.07.18 को पंजीकृत कर दिनांक10.08.18 एवं 06.09.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किप्रार्थी का मीटर काफी पुराना पड़ गया हैं एवं मीटर की स्पीड प्रार्थी को लोड के हिसाब से अधिक जान पड़ रही हैं। अतः प्रार्थी का मीटर धुंधला गया हैं, रीडिंग स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इससे मीटर के बिल की रीडिंग का मिलान प्रार्थी नहीं कर पा रहा हैं। अतः प्रार्थी का मीटर थ्री फेस का नया लगाने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :-**अनावेदक द्वारा दिनांक 09.08.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदकद्वारा उनके सर्विस क्रमांक 65-8-4708492000 पर स्थापित मीटर को बदलने हेतु आवेदन माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। उक्त प्रकरण के निराकरण में दिनांक 09.08.18 को मीटर बदल दिया गया हैं एवं मीटर को बोर्ड हित में एल.टी.एम.टी. लेब में चैक कराने हेतु भेज दिया गया हैं। अतः उपभोक्ता का प्रकरण समाप्त किये जाने का कष्ट करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः-** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया किआवेदक ने अपनी शिकायती आवेदन में कहा हैं कि मेरे घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 4708492000 हैं, पर स्थापित विद्युत मीटर पुराना पड़ गया हैं एवं मीटर की स्पीड लोड

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

के हिसाब से अधिक जान पड़ रही हैं तथा मीटर की रीडिंग भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। इससे बिल की रीडिंग एवं मीटर की रीडिंग का मिलान नहीं हो पा रहा हैं। इसलिये मेरा बिल भी अधिक आ रहा हैं। अतः मेरा मीटर बदल दिया जावें, यही निवेदन हैं।

अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि उपभोक्ता की शिकायत में उनके परिसर में स्थित मीटर तेज चलने के कारण रूपये 6000/– तक बिल आने का उल्लेख कर मीटर बदलने बाबत् शिकायत दर्ज की गई हैं। प्रकरण में निराकरण हेतु दिनांक 09.0802018 को आवेदक का पुराना मीटर क्रमांक 3102733 मेक जीनस, एफ.आर. 23358 अधिकतम मांग 2.20 पर निकाल कर नया मीटर क्रमांक 04–00051465 मेक एच.पी. एल. थ्री फेस, एस.आर. 0006 पर बदला गया है एवं पुराना मीटर बोर्ड हित में एल.टी./एम.टी. लेब, ग्वालियर में जॉच हेतु भेजा गया हैं। मीटर जॉच में सही पाया गया। उपभोक्ता की पूर्व बिलिंग के बिल देखने पर खपत अनुसार रूपये 6000/– का बिल जारी नहीं किये गये हैं। उपभोक्ता के मीटर में दर्ज खपत अनुसार ही विद्युत देयक दिये गये हैं। आवेदक की मुख्य शिकायत उसका विद्युत मीटर, जो कि बहुत पुराना एवं जिसमें रीडिंग सही नहीं दिखाई दे रहीं थीं, बदलना था, जो कि बदल दिया गया हैं। प्रकरण समाप्त किया जायें।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक विद्युत मीटर अधिक पुराना हो जाने के कारण मीटर के डिस्प्ले में रीडिंग सही दिखाई न देने के कारण मीटर बदलने एवं अधिक राशि के विद्युत देयक दिये जाने से संबंधित हैं।

आवेदक सुनवाई पेशी दिनांक 10.08.18 एवं 06.09.18 को फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। उसने अनावेदक के द्वारा फोरम को पेशी दिनांक 06.09.2018 को एक पत्र दिनांक 02.09.18 प्रस्तुत किया गया, जिसमें निवेदन किया गया कि आवेदक द्वारा विद्युत बिल खपत से ज्यादा आने से मीटर बदलने की शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर की गई थीं, जिस पर आपने 10.08.18 को फोरम के समक्ष उपस्थित होने का कहा था, परन्तु शिकायत करने शिकायत दर्ज कराने के बाद ही मेरा मीटर बदल दिया गया हैं। अतः मेरी शिकायत को अब निरस्त माना जावें।

आवेदक द्वारा फोरम को लिखित में अपनी शिकायत के निराकरण हो जाने का निवेदन कर प्रकरण को निरस्त करने अथवा निरस्त माना जाने का निवेदन किया गया हैं।

आवेदक की शिकायत निराकृत, अतःप्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 20/09/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता / श्री एल.पी. गुप्ता
24–ए, पंत नगर, महलगॉव ,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 09 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–49 / 2018) दिनांक16.07.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 20 / 09 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., मालनपुर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–49 / 2018 दिनांक 16.07.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 09 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 58/2018**

13.08.2018

श्री कुलदीप सिंह कुशवाह/श्री करण सिंह कुशवाह
ग्राम गुढ़ा, पंचायती भवन के आगे, कंपू रोड, **(आवेदक)**
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक22.09.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./58दिनॉक 13.08.18 को पंजीकृत कर दिनांक10.08.18 एवं 06.09.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया मेरे घर के मीटर की डिस्प्ले खराब होने के कारण उसकी रीडिंग नहीं ली जा रही हैं और उसके आधार पर लाईट का बिल आंकलित खपत लगाकर बढ़ा–चढ़ाकर के दिया जा रहा हैं। अतः मेरे घर की लाईट का मीटर बदलने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 09.08.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदकका विद्युत मीटर FR 4155 पर माह जून 2018 में निकाला गया था, जिसमें माह अक्टूबर 17 से जून 2018 तक कुल दर्ज खपत 1576 यूनिट है। जिसको पिछले 9 माहों में समविभाजित कर उक्त माहों में लगाई गई 1212 यूनिट को हटाकर आवेदक को राशि रूपये 8,459/– का क्रेडिट समायोजन किया जा चुका हैं। नये मीटर में दर्ज खपत 864 का बिल माह जुलाई 18 में जारी किया गया। आवेदक का मीटर दिनांक 17.02.2018 को बदला गया हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत

दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि दिनांक 06.09.18 को आवेदक ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि मेरे घर का विद्युत मीटर का डिस्प्ले खराब होने के कारण उसकी रीडिंग माह अक्टूबर 2017 से नहीं ली गईं, जिसके बाद मेरे द्वारा मीटर बदलवाने के लिये कार्यालय में आवेदन दिया गया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात मेरे द्वारा 2–3 बार आवेदन दिये गये, तब जाकर माह फरवरी 2018 में मेरा विद्युत मीटर बदला गया। उसकी रीडिंग नहीं ली जा रही हैं। आवेदन देने पर बताया गया कि सिस्टम से बिल नहीं आया हैं, जिस पर अगस्त 2018 में रीडिंग नोट की गईं, जिसका बिल रूपये 21,438/– का दिया गया हैं, जिसे सुधारने हेतु निवेदन हैं।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक का विद्युत मीटर अंतिम रीडिंग 4155 पर माह जून 2018 में निकाला गया था, जिसमें माह अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक कुल दर्ज खपत 1576 यूनिट हैं। जिसको पिछले 9 माहों में सम विभाजित कर उक्त माहों में लगाई गई 1212 यूनिट को हटा कर आवेदक को राशि रूपये 8,459/– की क्रेडिट समायोजन किया जा चुका हैं। नये मीटर में दर्ज खपत 865 यूनिट का बिल माह जुलाई 2018 में जारी किया गया। आवेदक का खराब मीटर दि. 17.02.18 को बदला गया।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक अपनी पत्नी श्रीमती रामा देवी के नाम का एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424307–10–16–7303072000 संयोजति विद्युत भार 1500 वॉट नाथूराम गॉव गुढ़ा, ग्वालियर में स्थित हैं, का उपयोग करता हैं। उक्त संयोजन का विद्युत मीटर अक्टूबर 2017 में बंद/खराब हो जाने पर एक आवेदन, अनावेदक कंपनी के कार्यालय में दिया गया था, जिस पर अनावेदन ने दिनांक 17.02.18 को मीटर बदल दिया गया था। इसके उपरांत नये मीटर की भी रीडिंग न लेकर माह अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक की अवधि में हर माह आंकलित खपत के विद्युत देयक दिये गये हैं, जो कि अधिक खपत के हैं। इसी प्रकार नये मीटर में रीडिंग न लेकर माह मार्च 18 से जुलाई 18 तक आंकलित खपत के विद्युत देयक जारी किये गये। इन्हें मीटर में दर्ज खपत अनुसार संसोधित कराने का निवेदन हैं।

अनावेदक द्वारा आवेदक के खराब मीटर बदलते समय अंतिम रीडिंग (एफ.आर. ) 4155 लेते हुए माह जून 2018 में खराब मीटर निकालना बताया गया हैं, तक कुल खपत 1576 यूनिट को 9 माह में विभाजित कर माह अक्टूबर 17 से जून 18 तक की अवधि में आंकलित खपत 1212 यूनिट लगाई गई थीं, को हटा कर विद्युत देयक संसोधित कर राशि रूपये 8459/– की क्रेडिट समायोजन किया गया एवं नये मीटर में दर्ज खपत 865 यूनिट का बिल माह जुलाई 2018 में जारी किया गया हैं तथा यह भी स्वीकार किया कि आवेदक का विद्युत मीटर 17.02.2018 को बदला गया, जिसकी स्वीकारोक्ति

आवेदक ने भी दी है कि उसका विद्युत मीटर फरवरी 2018 में बदला गया हैं। अतः अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत मीटर बंद/खराब होने के कारण माह अक्टूबर 17 से जून 18 तक की अवधि में आंकलित खपत लगाकर जारी विद्युत देयकों से आंकलित खपत हटाकर माह जून 18 में मीटर बदलना बताया गया एवं मीटर में दर्ज अंतिम रीडिंग 4155 हैं, का कोई प्रमाणिक दस्तावेज फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा यह भी स्वीकार किया गया कि आवेदक का विद्युत मीटर दिनांक 17.02.2018 को खराब मीटर निकाल कर नया मीटर लगाया गया हैं।

अनावेदक द्वारा उपरोक्त की गई कार्यवाही नियमानुसार नहीं पाई गई हैं। अतः फोरम उक्त कार्यवाही को निरस्त करता हैं एवं आवेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत माह अक्टूबर 17 के विद्युत देयक का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आवेदक का विद्युत मीटर 25 सितम्बर 2017 को मीटर में दर्ज रीडिंग 2579 एवं विद्युत खपत 91 यूनिट के पश्चात विद्युत मीटर खराब हुआ हैं, जिसकी पुष्टि उपभोक्ता पासबुक से भी होती हैं। अतः आवेदक का विद्युत मीटर 25 सितम्बर 17 के बाद खराब हुआ हैं।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कंडिका 8.35 के अनुसार जिस अवधि में मापयंत्र (मीटर) कार्यरत नही रहा हो उस अवधि के लिये विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जायेगा। कंडिका 8.35 (ब) के अनुसारः–

**(ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांचमापयंत्र(check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबंध के अंतर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अंतर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां है जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्त के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।**

उक्त कंडिका के अनुसार आवेदक का विद्युत मीटर सितम्बर बिल्ड अक्टूबर 17 के पश्चात रीडिंग 2579 पर बंद हुआ। इसके पूर्व तीन माह अक्टूबर 2017, सितम्बर 2017

**(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**



एवं अगस्त 2017 में मीटर खराब होने के पूर्व दर्ज खपत क्रमशः 91, 225 एवं 150 यूनिट का औसत 155 यूनिट मीटर बंद रहने की अवधि नवम्बर 2017 से फरवरी 2018 तक 4

माह के विद्युत देयक 155 यूनिट प्रतिमाह खपत लेकर जारी किये जाने चाहिये तथा फरवरी बिल्ड मार्च 18 से जुलाई 18 तक नये मीटर में दर्ज इकठ्ठी रीडिंग 865 एवं खपत 864 को 5 माह में विभाजित कर आंकलित खपत हटाकर विद्युत देयक संशोधित किये जाना चाहिये।

**फोरम का निर्णय** :–अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को जारी आंकलित खपत के विद्युत देयक माह नवम्बर 17 से जून 18 तक को निरस्त कर मीटर बंद अवधि माह नवम्बर 17 से फरवरी बिल्ड मार्च 18 तक 5 माह के विद्युत देयक संशोधित करें एवं इस अवधि में मीटर किराया न लेवें तथा मार्च बिल्ड अप्रैल 18 से जुन बिल्ड जुलाई 18 तक नये मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत 864 यूनिट को बराबर 4 माहा में विभाजित कर विद्युत देयक संशोधित करें

विद्युत देयक संशोधन उपरांत आवेदक द्वारा आंकलित खपत के विद्युत देयकों के भुगतान की गई राशि को संशोधन उपरांत भुगतान योग्य राशि में समायोजित कर दी जाने वाली क्रेडिट में से पूर्व में दी जा चुकी क्रेडिट राशि रूपये 8459/– को कम कर क्रेडिट दी जावें।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता है।दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 22/09/18
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम /  भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री कुलदीप सिंह कुशवाह / श्री करण सिंह कुशवाह
ग्राम गुढ़ा, पंचायती भवन के आगे, कंपू रोड,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 22 / 09 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–58 / 2018) दिनांक13.08.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 22 / 09 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., मालनपुर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–58 / 2018 दिनांक 13.08.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 22 / 09 / 2018इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 59/2018**

13.08.2018

श्री गिरीश कुमार पुत्र इदन दास गोलानी,
परमेश्वरी भवन, लेले साहब का बाड़ा, दर्जी ओली लश्कर, ग्वालियर (म.प्र) **(आवेदक)**

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक 22.09.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./59दिनॉक 13.08.18 को पंजीकृत कर दिनांक06.09.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि प्रार्थी के मकान में कोई नहीं रहता हैं एवं प्रार्थी का मकान बंद पड़ा हुआ हैं। जिस कारण प्रार्थी के यहॉ विद्युत का उपयोग नहीं हो पा रहा हैं। इसलिये मैं अपना विद्युत कनेक्शन अस्थाई कटवाना चाहता हूॅ जिसका सर्विस क्रमांक 2424308–49–4–8761062000 एवं पोल क्रमांक 600410000 हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि उक्त विद्युत कनेक्शन को अस्थायी तौर पर बंद करने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 09.08.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदकके विद्युत कनेक्शन क्रमांक 49–5–8761062000 जो कि गैर घरेलू श्रेणी का हैं, में निम्नानुसार संशोधन किये जा चुके हैं। उपभोक्ता द्वारा माह मई 2015 से विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया हैं।

1. अगस्त 2015 से अप्रैल 2016 तक आंकलित खपत समाप्त कर वास्तविक खपत अथवा मिनिमम की बिलिंग कर रूपये 6214/– की क्रेडिट सी.सी.बी. क्र. 231/12 से दी गई।
2. मई 2016 का बिल सी.सी. –4 से मिनिमम संशोधित किया गया।

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

3. अगस्त 2016 का बिल मिनिमम कर सी.सी.बी. 241/13 से रूपये 1398/– की क्रेडिट दी गई।

4. सितम्बर 2016 का बिल गलत रीडिंग का होने पर सी.सी.–4 से मिनिमम कर दिया गया।

5. माह अक्टूबर 2016 से वर्तमान अगस्त 2018 तक मिनिमम के देयक जारी किये जा रहे हैं। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि दिनांक 06.09.2018 को आवेदक ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि जो भी आवेदक के गैर घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424308–49–5–8761062000 मिनिमम टैरिफ के अनुसार विद्युत देयकों की बकाया राशि का भुगतान करने को वह तैयार है। आंकलित खपत के जो बिल दिये गये है उन पर लगाये सरचार्ज को हटाया जावे।

अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि आवेदक के विद्युत बिलों में अगस्त 2015 से अप्रैल 2016 तक की आंकलित खपत के समाप्त कर टैरिफ मिनिमम लेकर विद्युत देयक संशोधित करने के उपरांत रूपये 6214/– की क्रेडिट सी.सी.बी द्वारा दे दी गई है। माह मई 2016 का बिल संशोधित कर दिया गया है। अगस्त 2016 का बिल संशोधित कर राशि रूपये 1398/– की क्रेडिट दे दी गई है। सितम्बर 2016 का बिल मिनिमम टैरिफ आधार पर संशोधित कर दिया गया है। माह अक्टूबर 2016 से अगस्त 2018 तक के विद्युत देयक मिनिमम टैरिफ के आधार पर जारी किये जा रहे है। आवेदक द्वारा विद्युत देयको का भुगतान नही करने के कारण नियमानुसार अधिभार लगता है। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन है।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री गिरीश कुमार पुत्र इदन दास के नाम से एक गैर घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424308–49–5–8761062000 एंव संशोधित विद्युत भार 1000 वाट एस.आर मेमोरियल स्कूल गोल पहाडिया ग्वालियर में स्थित है। आवेदक के इस परिसर में कोई भी निवास नही कर रहा है और यह परिसर बंद है। इसलिये इसमें विद्युत का उपयोग नही हो पा रहा है। अतः इस परिसर में स्थापित विद्युत संयोजन को अस्थाई रूप से दिनांक 28.05.2016 को एक आवेदन देकर तथा RC/DC चार्ज रूपये 200/– जमाकर विच्छेदित करा लिया गया था। इसके बावजूद उसे आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक जारी किये जा रहे है अतः फोरम

से निवेदन है कि अस्थाई रूप से विच्छेदित विद्युत संयोजन के विद्युत देयक टैरिफ मिनिमम लेकर संशोधित करवाने का निवेदन है।

आवेदक के गैर घरेलू विद्युत संयोजन के उपयोग न होने के कारण जारी आंकलित खपत के विद्युत देयको तथा विद्युत संयोजन के अस्थाई रूप से विच्छेदित होने के बाद भी आंकलित खपत के जारी विद्युत देयकों से आंकलित खपत हटाकर मीटर में दर्ज खपत अनुसार अथवा तत्समय प्रचलित टैरिफ मिनिमम के अनुसार विद्युत संयोजन के अस्थाई रूप से विच्छेदन के पूर्व के विद्युत देयकों की माह अगस्त 2015 से अप्रैल 2016 तक के विद्युत देयकों से आंकलित खपत हटाकर विद्युत देयक संशोधन उपरांत रूपये 6214/– की क्रेडिट सी.सी.बी 231/12 से दे दी गई। माह मई 2016 का विद्युत देयक सी.सी. 4 से मिनिमम का संशोधित किा गया। अस्थाई रूप से विच्छेदन के बाद अगस्त 2016 विद्युत देयक टैरिफ मिनिमम से संशोधित कर सी. सी.बी. 241/13 से रूपये 1398/– की क्रेडिट दी गई। सितम्बर 2016 का बिल सी. सी 4 से मिनिमम टैरिफ संयोजित कर दिया गया तथा अक्टूबर 2016 से अगस्त 2018 तक के विद्युत देयक तत्समय प्रचलित टैरिफ मिनिमम से ही जारी किये जा रहे है। इस प्रकार आवेदक का कुल रूपये 7612/– की क्रेडिट सी.सी.बी 231/12 एवं 241/13 द्वारा दी गई जो कि नियमों के अनुसार न्याय संगत पाई गई।

अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा संशोधन के पूर्व विद्युत देयको के भुगतान न करने के कारण लगा सरचार्ज विद्युत देयको के संशोधन उपरांत भुगतान योग्य राशि पर लिया जा कर भुगतान योग्य संशोधित सरचार्ज लिया जावे।

आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता है।

अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन की एक–एक प्रति फोरम एवं आवेदक को प्रेषित करे।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 22/09/2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम /  भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री गिरीश कुमार पुत्र इदन दास गोलानी,
परमेश्वरी भवन, लेले साहब का बाड़ा, दर्जी ओली
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 22 / 09 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–59 / 2018) दिनांक13.08.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 22 / 09 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–59 / 2018 दिनांक 13.08.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 22 / 09 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 87/2018**

16.01.2018

श्री शालिगराम त्रिपाठी
म.नं. 3, बिरला नगर **(आवेदक)**
ग्वालियर (म.प्र)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, उत्तर), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक12.09.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

**2.** आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./87दिनॉक 16.01.18 को पंजीकृत कर दिनांक 09.02.18, 22.03.18, 10.05.18, 07.06.18, 12.07.18, 09.08.18 एवं 06.09.18 को सुना गया।

**3.** प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

**4.** **आवेदक का कथन :-**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि प्रार्थी का लाईन नं.-3, मकान नंबर 3 बिरला नगर, ग्वालियर में विद्युत कनेक्शन नंबर 2424205-17-6-6172508000 में लगा हैं। उक्त सर्विस क्रमांक पूर्व में घरेलू था, लेकिन 2007 में बगैर किसी कारण के गैर घरेलू कर दिया गया, जबकि हमारे यहॉ कुछ भी कमर्शियल नहीं हैं। यह कि नये मीटर 2015 में लगाये गये लेकिन, फिर भी रीडिंग के बिल न देकर आंकलित खपत के बिल दिये जा रहे हैं।

2. यह कि 2011 से लगातार तानसेन नगर आफिस में आवेदन दिये जा रहे हैं कि हमारे यहॉ कुछ भी कमर्शियल नहीं हैं, फिर भी कमर्शियल बिल दिये जा रहे हैं।

3. यह कि सन 2005 में 10,000/- का बिल जमा कर मकान का निरीक्षण करवाया गया था, रिपोर्ट में लिख हुआ हैं कि मकान में सर्विस लाईन नहीं हैं, तब से मकान 2015 तक बंद रहा हैं। इस प्रकार 2014 तक विद्युत कनेक्शन में से लाईट नहीं ली।

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**

4. यह कि प्रार्थी ने बार बार बिल संशोधन हेतु आवेदन दिये, फिर भी निराकरण नहीं किया गया तथा उक्त कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया।
अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि उक्त कनेक्शन गैर घरेलू से घरेलू कर बिल में से सरचार्ज हटाकर रीडिंग का बिल देने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 09.08.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि वर्तमान में आवेदकका परिसर चैक करने पर पाया गया कि उक्त कनेक्शन पर घरेलू उपयोग पाया हैं। आवेदक का विद्युतबिल माह जनवरी 2007 से लेकर अप्रैल 2018 तक गैर घरेलू श्रेणी में टैरिफ मिनिमम लेते हुए संशोधित कर आवेदक को राशि रूपये 44984/– का क्रेडिट दिया जा चुका हैं। कार्यालय में उपलब्ध मीटर डायरी के अनुसार मीटर रीडर द्वारा उक्त कनेक्शन ''घरेलू उपयोग'' की टीप दिनांक 18.07. 2006 में अंकित हैं। साथ ही उसके पूर्व के कोई भी कार्यालयीन दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकें कि उक्त कनेक्शन कब से घरेलू श्रेणी में उपयोग हो रहा हैं। प्रकरण में माननीय फोरम द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा, तदानुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में आगे और कोई कथन नहीं करना हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया किआवेदक श्री शालिगराम त्रिपाठी के नाम से एक सिंगल फेस विद्युत संयोजन क्रमांक 2424205–17–6–6172508000, लाईन नं.–3, मकान नंबर 3 बिरला नगर, ग्वालियर में स्थित हैं। उक्त परिसर वर्ष 2005 से माह अक्टूबर 2014 तक बंद था एवं बिजली का कोई भी उपयोग नहीं किया गया। उक्त कनेक्शन घरेलू श्रेणी का था किन्तु, विभाग द्वारा हमारे परिसर के बंद रहने के दौरान ही उक्त कनेक्शन को बिना किसी सूचना अथवा आवेदक के घरेलू श्रेणी से गैर–घरेलू श्रेणी में परिवर्ति कर दिया गया। इस दौरान हमारे परिसर के मीटर की रीडिंग न लेते हुए हमें आंकलित खपत के बिल दिये जाते रहें। विभाग द्वारा मार्च 2017 में हमारा कनेक्शन काट दिया गया था एवं हमारे द्वारा राशि रूपये 3000/– जमा करने के बाद उक्त कनेक्शन जोड़कर विद्युत प्रदाय चालू कर दिया गया था। उसके पश्चात दिनांक 31.05.2017 को हमारा कनेक्शन पुनः काट दिया गया, जो कि आज दिनांक तक कटा हुआ हैं एवं हमें आंकलित खपत के हिसाब से ही विद्युत बिल दिये जा रहे हैं। मेरा विद्युत कनेक्शन दिनांक 07.04.2018 को पुनः जोड़ दिया गया हैं। 2004 से 2014 तक हमारा मकान बंद था एवं बिजली की कोई सप्लाई नहीं थीं। हमारा मकान बंद होने के दौरान ही हमारे कनेक्शन को घरेलू से व्यासायिक में बदल दिया गया, जिसकी हमें कोई सूचना नहीं दी गई। हमें उक्त अवधि में जो बिल दिया गया हैं, उसे निरस्त कर सही बिल दिये जायें एवं हमारे विद्युत कनेक्शन को पुनः गैर घरेलू से घरेलू श्रेणी में परिवर्तित किया जायें एवं आंकलित खपत को हटाते हुए मीटर में दर्ज रीडिंग के हिसाब से बिल दिये जावें। आंकलित खपत के

जारी देयकों के विरूद्ध मेरे द्वारा जमा की गई राशि को आंकलित खपत हटाकर संशोधन उपरांत भुगतान योग्य राशि में समायोजित की जावें, यहीं निवेदन हैं।

अनावेदक द्वारा दिनांक 10.05.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता से संबधित अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि जनवरी 07 से फरवरी 2015 तक उपभोक्ता को आंकलित खपत के बिल जारी किये गये, जिसमें वर्तमान एवं पिछली रीडिंग 4550 दर्ज हैं। (पुराने मीटर के अनुसार) मीटर रीडिंग डायरी के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में मार्च 2015 में नया मीटर स्थापित किया गया। लेकिन 03/15 से 02/18 तक उपभोक्ता को स्थापित मीटर की एस.आर./एफ.आर . न होने के कारण पुनः आंकलित खपत के बिल जारी किये गये। प्रकरण के निराकरण की दृष्टि से अवधि 01.01.07 से 02/15 तक की अवधि में जारी आंकलित खपत के देयकों को न्यूनतम चार्ज के अनुसार संशोधित किया जा रहा हैं, नये मीटर की रीडिंग 4034 पर एस.आर./एफ.आर. कराकर एकत्रित रीडिंग को 37 माह से विभाजित करने पर उक्त अवधि 03/15 से 04/18 में जारी देयकों को 110 यूनिट प्रति माह के अनुसार संशोधित किया जा रहा हैं। इस प्रकार उपभोक्ता को आगामी देयकों में 44,984/– रूपये समायोजित किया गया।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष किये गये कथनों के अवलोकन उपरांत यह पाया गया कि मीटर रीडिंग डायरी के अनुसार वर्ष 2005 से आवेदक के परिसर में लाईट का उपयोग होना नहीं पाया गया, जिसकी पुष्टि मीटर में दर्ज खपत 00 से भी होती हैं। आवेदक के विद्युत परिसर में परिसर बंद रहने की अवधि 2005 से अक्टूबर 14 तक में अनावेदक द्वारा घरेलू श्रेणी से गैर घरेलू श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसको घरेलू श्रेणी में परिवर्तित करवाने के लिये वर्ष 2005 से आपत्तियॉ दर्ज कराई जा रही थीं। इसके बाद वर्ष 2011, 2013, 2017 एवं 2018 में अनावेदक द्वारा विद्युत संयोजन जिस परिसर में स्थापित हैं, उसका निरीक्षण अनावेदक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कराया गया था, जिसमें विद्युत कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 03.10.2005 को आवेदक के परिसर के किये गये निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें परिसर में डी.एल. एण्ड एफ. श्रेणी में विद्युत का उपयोग दर्शाया गया हैं। फोरम के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत मीटर रीडिंग डायरी में भी लाईनमेन द्वारा वर्ष 2006 में ''यह कनेक्शन घरेलू उपयोग हैं'' की टीप अंकित की हुई हैं।

दिनांक 09.02.2018 को आवेदक के परिसर की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार भी आवेदक के परिसर में सिंगल फेस, घरेलू प्रकाश उद्देश्य अंकित है तथा ''मीटर आमर्ड केबल के साथ बाहर लगा हैं, कनेक्शन विच्छेदित हैं, परिसर में किसी भी प्रकार का कमर्शियल Use नहीं हैं, सिर्फ घरेलू उपयोग हो रहा हैं'' बाबत् टीप अंकित हैं।

अतः फोरम उपरोक्त विवेचना उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि आवेदक का विद्युत संयोजन घरेलू श्रेणी का ही हैं, जिसकी पुष्टि 03.10.2005 को किये गये निरीक्षण

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर ....**



पत्रक एवं मीटर डायरी में वर्ष 2006 में लाईनमेन द्वारा अंकित टीप से भी होती हैं। अतः आवेदक का विद्युत संयोजन अक्टूबर 2005 के बाद से ही घरेलू श्रेणी में मानते हुएअनावेदक द्वारा माह जनवरी 2007 से फरवरी 2015 की अवधि में किय गये बिल संशोधन को माह अक्टूबर 2005 से लेकर फरवरी 2015 की अवधि में लगायी गयी आंकलित खपत को हटाते हुये आवेदक को जारी अक्टूबर 2005 के बाद से ही वर्तमान तक गैर घरेलू श्रेणी के जारी विद्युत देयकों को निरस्त कर घरेलू श्रेणी में टैरिफ मिनिमम का संशोधित बिल दिया जाये तथा चूंकि माह मार्च 2015 में नया मीटर लगा दिया था तथा जिसकी इक्ट्ठी रीडिंग माह फरवरी 2018 में ली गयी, उक्त इक्ट्ठी रीडिंग खपत को माह मार्च 2015 से मार्च 2018 की अवधि में समविभाजित कर घरेलू श्रेणी में बिल किया जाये तथा उक्त अवधि में लगायी गयी आंकलित खपत को हटाते हुये भुगतान योग्य राशि का संशोधित बिल दिया जाये।यदि पूर्व में विद्युत बिलों का भुगतान आवेदक द्वारा नहीं किया हो तो, संशोधन उपरांत बिलिंग राशि पर ही सरचार्ज लगाया जावें तथा आवेदक द्वारा उपरोक्त अवधि में जारी गैर घरेलू श्रेणी के विद्युत देयकों के विरूद्ध जमा की गई राशि को संशोधन उपरांत भुगतान योग्य राशि में समायोजित कर भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक जारी करें। यदि आवेदक को उपरोक्त अवधि 3 अक्टूबर 2005 से अप्रैल 2018 तक विद्युत देयक संशोधन उपरांत दी जाने वाली क्रेडिट, पूर्व में दी जा चुकी हो तो उसे कम कर क्रेडिट दी जावें।

इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं।

प्रकरण निराकृत समाप्त किया जाता हैं।

**आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में पालन प्रतिवेदन की एक प्रति फोरम एवं एक प्रति आवेदक को प्रेषित करें।**

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 12/09/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम /  भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री शालिगराम त्रिपाठी
म.नं. 3, बिरला नगर
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 12 / 09 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–87 / 2018) दिनांक16.01.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 12 / 09 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–87 / 2018 दिनांक 16.01.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 12 / 09 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

**प्रकरण क्र. जी.टी. 125/2018**

15.02.2018

श्री भानुप्रताप सिंह
नवग्रह कॉलोनी नं.-2, गोल पहाड़िया, **(आवेदक)**
ए.बी. रोड, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

**आदेश**

**आज दिनांक12.09.2018 को पारित किया गया।**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./125दिनॉक 15.02.18 को पंजीकृत कर दिनांक16.03.18, 13.04.18, 10.05.18, 11.05.201807.06.18, 12.07.18, 09.08.18 एवं 06.09.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मेरे अपने परिसर पंचमुखी नगर में एक घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन दिया था। आवेदन के पश्चात दिनांक 08.06.16 को घरेलू कनेक्शन हेतु रूपये 1706/- जमा करें थें, जिसकी रसीद संलग्न हैं। लेकिन आज दिनांक 27.09.17 तक मेरे परिसर में न ही कोई विद्युत मीटर लगा हैं एवं न ही कोई सर्विस लाईन खींची हैं, न ही आज दिनांक तक मैंने विद्युत का उपयोग किया हैं। फिर भी मेरा विद्युत बिल जुलाई 2017 तक 16,213/- रूप्ये का आ गया हैं, जो कि गलत हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है। कि मेरे विद्युत बिल को सुधरवाकर न्यूनतम राशि का बिल जारी करने की कृपा करें एवं मेरा विद्युत कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेद करने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :-**अनावेदक द्वारा दिनांक 09.08.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदककी शिकायत के निराकरण हेतु माह अक्टूबर 17 में आंकलित खपत हटाकर 17089/- रूपये की क्रेडिट की गई। नवम्बर 17 में कुल देयक राशि 6148/- का जारी किया गया। फरवरी 18 में अंकित 250 आकलित खपत हटाकर माह मार्च 18

**(आर.के लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

का बिल सुधार किया गया। वर्तमान में माह मई 18 से अगस्त 18 तक की आंकलित खपत हटाकर 6298/– की क्रेडिट की गयी। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया किआवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मैंने अपने परिसर पंचमुखी नगर में एक सिंगल फेस घरेलू विद्युत कनेक्शन लगभग डेढ़ साल पहले लिया था। उस समय मेरा मकान निर्माणाधीन था। मेरे परिसर से दो फुट की दूरी पर बिजली का खंबा एवं लाईन चालू हालत में थीं। कनेक्शन लेने के पश्चात मैंने विद्युत का स्थायी/अस्थायी रूप से किसी भी प्रकार से विद्युत का उपयोग नहीं किया। निर्माण पूरा होने पर परिसर के पास से खंबें/लाईन हटा दिये गये। रखरखाव के बाद उन्हें वापिस लगाया जायेगा, ऐसा हम से कहा गया था किन्तु, आज दिनांक तक वहॉ पर न तो खंबें हैं और न ही लाईन उपलब्ध हैं। मेरे परिसर में आज दिनांक तक न मीटर लगा हैं, न लाईन खिंची हैं न हीं किसी तरह का कोई विद्युत कनेक्शन हैं एवं वर्तमान में मैं वहॉ निवास नहीं कर रहा हूॅ। इसकी जॉच रिपोर्ट विद्युत अधिकारियों द्वारा 11.04.18 को माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी हैं। विद्युत बिल कम कराने के लिये विभाग में कई आवेदन दिये गये लेकिन, उनका कोई निराकरण नहीं हुआ और बिल लगातार आंकलित खपत एवं रीडिंग के साथ बढ़ता गया। इसके बाद अधिकारियों के दबाव में दिनांक 05.01.18 को TDC कराई गई और कहा गया कि बिल कम हो सकता हैं अन्यथा नहीं, जो कि नियमानुसार गलत हैं। वर्तमान में बिल 17,000/– रूपये के लगभग बताया जा रहा हैं, जिनमें आंकलित खपत कम करके लगभग 6000/– रूपये का बिल दिया गया, जबकि विद्युत विभाग द्वारा एक तरफ TDC कराकर दूसरी तरफ चैक रिपोर्ट लगाकर बताया गया कि मौके पर लाईट का उपयोग नहीं हो रहा हैं, न ही मीटर लगा हैं, न ही कोई तार हैं, मकान बंद हैं। दोनों बातें एक साथ होना संभव नहीं हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा बिल में 4000/– रूपये जमा कराकर TDC कराई गई। वर्तमान में स्थिति वहीं बना हुई हैं। अधिकारी द्वारा अन्य प्रभार जोड़कर गलत तरीके से बिल में दर्शाया जा रहा हैं, जो कि गलत हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि बिल की राशि पूर्ण समाप्त कर बिल कनेक्शन की दिनांक से मिनिमम राशि के बिल दिये जाये।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री भानुप्रसाद सिंह द्वारा पंचमुखी नगर, सिकन्दर कंपू, ग्वालियर स्थित अपने परिसर में एक घरेलू विद्युत संयोजन हेतु विद्युत कंपनी के सिकन्दर कंपू जोन ग्वालियर में एक आवेदन दिया गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए अनावेदक द्वारा दिनांक 08.06.16 को आवेदक से रूपये 1706/– जमा कराकर आवेदक को विद्युत संयोजन जारी कर दिया गया था।

जुलाई 17 में अनावेदक द्वारा आवेदक को रूपये 16,213/– का विद्युत देयक दिया गया, जिसमें संशोधन करवाने हेतु आवेदक द्वारा अनावेदक कार्यालय में दिनांक 12.10.17 एवं 31.01.18 को आवेदन दिये गये। अनावेदक द्वारा उक्त आवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु आवेदक से उनके विद्युत संयोजन को अस्थाई रूप से विच्छेदित करने हेतु आर.सी./डी.सी. चार्ज रूपये 200/– रसीद क्रमांक 45311/014, दिनांक 05.01.18 द्वारा जमा करायें गये। तदुपरांत विद्युत बिल की बकाया राशि के आंशिक भुगतान रूपये 4000/– दिनांक 05.01.18 को किया गया। अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर का दिनांक 11.04.18 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मौके पर विद्युत का कोई उपयोग नहीं हैं, मकान बंद हैं और केबल कटा हैं, स्थल पर मीटर या तार वगैरह कोई भी चीज नहीं हैं।

उपभोक्ता पासबुक के अनुसार आवेदक के परिसर में मीटर क्रमांक 1840000 एवं माह सितम्बर 16 बिल्ड अक्टूबर 16 में मीटर में दर्ज रीडिंग 00 तथा आंकलित खपत 150–150 यूनिट अंकित हैं। दिसम्बर 16 से मार्च 18 तक की अवधि में दिसम्बर 17 एवं फरवरी 18 में 250–250 यूनिट आंकलित खपत के विद्युत देयक दिये गये हैं तथा विद्युत मीटर में मात्र 120 रीडिंग दर्ज हैं। इससे यह स्पष्ट होता हैं कि आवेदक के परिसर में विद्युत का उपयोग काफी समय से नहीं हुआ हैं।

अनावेदक द्वारा माह अक्टूबर 17 में आवेदक के विद्युत देयकों में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर विद्युत देयकों को संशोधित करने के उपरांत रूपये 17089/– की क्रेडिट दी गई। इसी प्रकार माह फरवरी 18 में आंकलित खपत 250 यूनिट हटाकर माह मार्च 18 का देयक संशोधित कर दिया गया हैं और अप्रैल 18 में आवेदक को नियत दिनांक को भुगतान योग्य राशि रूपये 3353/– का विद्युत देयक जारी किया गया हैं। इसी प्रकार माह मई 18 से अगस्त 18 तक की आंकलित खपत हटाकर नियमानुसार टैरिफ मिनिमम लेकर विद्युत देयक संशोधन उपरांत आवेदक को रूपये 6298/– का समायोजन किया जाना अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष स्वीकार किया गया हैं।

इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं, जो कि नियमानुसार एवं न्याय संगत पाया गया हैं।

इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं।

प्रकरण निराकृत समाप्त किया जाता हैं।

अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि वह आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में प्रकरण में किये गये निराकरण के पालन प्रतिवेदन के साथ गणना पत्रक की एक एक प्रति फोरम एवं आवेदक को प्रेषित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 12/09/2018
स्थान : भोपाल

**(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री भानुप्रताप सिंह
नवग्रह कॉलोनी नं.–2, गोल पहाड़िया,
ए.बी. रोड, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 12 / 09 / 2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–125 / 2018) दिनांक15.02.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 12 / 09 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., मालनपुर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–125 / 2018 दिनांक 15.02.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 12 / 09 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम /  भोपाल, दिनांक  / 09 / 2018

प्रति,
मेसर्स औमेगा रेंक बैरिगस प्रायवेट लिमि.,
आनन्द नगर भोपाल, (म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-06/2018दिनॉक 16.05.2018 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-06/2018दिनॉक 16.05.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 24.09.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

प्रतिलिपि –

1. महाप्रबंधक (शहर) वृत्तम.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल। (म.प्र.) – ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–06 / 2018 दिनांक 16.05.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 24.09.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन एक प्रति फोरम की ओर प्रेषित किया जावे।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी.06/2018

16.05.2018

मेसर्स औमेगा रेंक बैयरिंग प्रायवेट लि.मि,
आनन्द नगर भोपाल (म.प्र.)(आवेदक)

**विरुद्ध**

महाप्रबंधक,शहर(वृत्त) (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., भोपाल (म.प्र.)

**आदेश**

**आज–24.09.2018 को पारित किया गया।,**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/06दिनॉक 16.05.18 को पंजीकृत कर दिनॉक 12.06.2018, 27.06.201809.07.2018, 04.08.2018, 14.08.2018, एवं 11.09.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि :–

With the above cited subject we would like to inform you that we have an industrial HT connection at our factory premisses at Anand Nagar Bhopal (33kv, Max, Demand 1250 KVA Which comes under SE (City circle MPCKVVCL Bhopal).

We have 3 captive Solar power plant under REC scheme, situated at Bilkheria district Bhopal (M.P.) Plants capacities are 695 kwp, 655kwp and 105 kwp. These plants are under SE (O&M), MPMKVVCL Bhopal. Units generated by these three solar plants is adjusted after deduction of 6% wheeling charges (on units

generated by solar plant) in our main electricity bill (city circle). From December 2017 we are charged under head extra charges on total electricity generated by our solar plants. These charges are 0.6460 paisa per solar units generated which is hues amount of money we are paying this amount monthly under protest.

We understand that this is CESS on solar power generated by us as per tripartite agreement signed between Omega Renk Bearings Pvt. Ltd., MPPMCL Bhopal, there was no levy applicable. Subsequently this has been arbitrarily levelled. This defeats the very purpose of generating renewable energy through Solar Power. This billing is arbitrarily done to harass solar power generator, moreover it should not be done retrospectively. We are already paying 6% wheeling charges without any subsidy. The additional charges can be done for new upcoming plants. We need your intervention for withdrawal of extra charges on generated units in main electricity bill.

It is also important to point out that we have given our own land to MPMKVVCLtd and constructed complete 33/11 KV, 5MVA substations at our own cost. This was to support to the cause of the village Billkheria and further division of 33 KV & 11 KV feeders for rural electrificatio. The charges for this activity was about rupees one crore. In view of above please treat our case sympathetically.

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया किशिकायतकर्ता मेसर्स ओमेगा रेंक बियरिंग प्रा.लि. उपभोक्ता कोड क्र. 1054904111 आनंद नगर रायसेन रोड स्थित है जिसकी बिलिंग शहर वृत्त कार्यालय द्वारा की जाती है। उपभोक्ता की संविदा मांग 1250 LVA है।

उपभोक्ता द्वारा 3 सोलर पांवर प्लांट बिलखिरिया में स्थापित किये गये है जो सं./सं. वृत्त भोपाल के अंतर्गत आते है। जिनकी तीन स्थानों से पावर प्लांट क्षमता 695 किलोवाट 655 किलोवाट एवं 105 किलोवाट है, सोलर पावर प्लांट से जनरेट किये गये विद्युत उत्पादन का उपयोग उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया जाता है।

उपभोक्ता के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार व्हिलिंग चार्जेस काटने के पश्चात शेष यूनिट का समायोजन उपभोक्ता के देयक में कर दिया जाता है। माननीय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रिटेल टैरिफ आदेश वर्ष 2017–18 के, टैरिफ निर्धारा की कंडिका 3.29 टेबल क्र. 80 पृष्ठ क्र. 90 के आदेशानुसार Other

Chargesरू. 0.6460 प्रति यूनिट (छायाप्रति संलग्न है) सभी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं हेतु लागू किया गया है। जिसके पालन में शिकायतकर्ता से यह राशि वसूल की जा रही है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त राशि उपकर (CESS) की नही है, बल्कि Cost of Surrendered Energy Due to Open Accessहै।

माननीय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ में परिवर्तन करने हेतु माननीय नियामक आयोग के समक्ष ही शिकायतकर्ता द्वारा पिटेशन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 12.06.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर को आवेदक मेसर्स ओमेगा रेंक बैरिंग्स प्राय.लिमि., आनन्द नगर, भोपाल की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री सुशील प्रकाश, मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 के भाग –6 ''विद्युत का वितरण'' के अनुसारः–

(2) राज्य आयोग–ऐसी अवस्थाओं में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन खुली/निर्वाध/स्वतंत्र पहुंच में प्रवेश करायेगा (जिसमें प्रति उपदान (सबसिडीज) और अन्य संचालक दबाव शामिल हैं/सम्मिलित हैं) जैसी कि उसके द्वारा नियत दिनांक के एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट की जाय और उत्तरवर्ती अवस्थाओं में (in successive phase) खुली पहुंच की सीमा विनिर्दिष्ट करते हुए और (Wheeling) व्हीलिंग में चार्जेज अवधारित करते हुए वह समस्त सम्बद्ध कारकों (Factors) का सम्यक् ध्यान रखेगा, जिसमें प्रति उपदान (cross subsidies) तथा अन्य संचालन/प्रचालन के दबाव शामिल हैंः

परन्तु यह कि (सरचार्ज तथा व्हीलिंग के चार्जेज के अतिरिक्त भुगतान पर जैसा कि राज्य आयोग द्वारा अवधारित किया जाय ऐसी खुली पहुंच की इजाजत/अनुमति/अनुज्ञा दी जायेगी)

परन्तु यह और कि ऐसा सरचार्ज (अधिभार) वितरण लायसेन्सी के (विद्युत) प्रदाय के क्षेत्र मे ंभीतर वर्तमान स्तर की क्रास सबसिडी की अपेक्षाओं को पूरा करने में उपयोग किया जायेगाः

परन्तु यह भी ऐसा सरचार्ज और क्रॉस सबसिडीज (प्रति सहायि्यकी उपदान) प्रोन्नति के क्रमिक रूप से क्रमागत क्रमानुसार, उस रीति में जैसा कि राज्य आयेाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, कम की जायेगी या घटाई जायेगी(.....)

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

परन्तु यह भी ऐसा सरचार्ज (अधिभार) उस दशा में, उगाहने योग्य/ उद्ग्रहणीय अधिरोपण योग्य नहीं होगा जब उस व्यकित को निर्वाध बिना बाधा के खुली पहुंच स्वतंत्र आजादी पूर्वक पहुंच प्रदान की गई हैं जिसने अपने स्वयं के उपयोग किये जाने के गन्तव्य (to the destination) तक विद्युत ले जाने के लिये कैप्टिव्ह जनरेटिंग प्लाण्ट (कैप्टिव्ह उत्पादन संयंत्र) स्थापित किया हैं:

तत्पश्चात माननीय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 15.11.2017 के 12.2 अनुसार ''चक्रण प्रभार, प्रति सहायतानुदान (क्रास सबसिडी) अधिभार, चक्रण प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार एवं ऐसे अन्य प्रभार, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अधीन समय–समय पर उसके खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में किये गये विनिश्चय के अनुसार लागू होंगे।''

माननीय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के उपरोक्त आदेशानुसार नया अधिभार नवम्बर 2017 से लागू किया गया हैं।

चूँकि इस ओपन एक्सेस (खुली पहुंच) कनेक्शन में कोई क्रास सबसिडी नहीं हैं। अतः इस पर नियम अनुसार अन्य प्रभार लागू नहीं हो सकते हैं।

मई 2018 से यह अतिरिक्त प्रभार 0.646 से बढ़कर 0.7230 हो गया हैं और अन्य व्हीलिंग चार्ज के ऊपर भी 27.00 पैसे प्रति यूनिट अधिभार मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) कार्यालय प्रबंध संचालक, भोपाल के पत्र क्रमांक 1 No. 576 दिनांक 26.05.2018 द्वारा लगाये गये हैं, जबकि पॉलिसी में अधिभार को समय समय पर धीरे धीरे कम करने बाबत लेख उक्त एक्ट में किया हुआ हैं। अतः यह अधिभार हमारे ऊपर लागू नहीं होता हैं। माह नवम्बर 2017 से उक्त अधिभार की राशि नियमितबिलों के साथ जोड़कर दी जा रही हैं, जिसे हमारे द्वारा नियमित बिल का भुगतान ऑन लाईन किया जाकर विवादित अधिभार की राशि का भुगतान अलग से ड्राफ्ट के माध्यम से Under Protest जमा किया जा रहा हैं, जिसकी प्रतियॉ पूर्व में ही आवेदन के साथ हमारे द्वारा माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री मोहन कुमार तेजवानी, कार्यालय सहायक श्रेणी–3 द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता द्वारा 3 सोलर पावर प्लाण्ट ग्राम बिलखिरिया में स्थापित किये गये हैं, जो संचा./संधा. वृत्त भोपाल के अन्तर्गत आते हैं। जिनकी तीन स्थानों से पावर प्लाण्ट क्षमता 695 किलो वॉट, 655 किलो वॉट एवं 105 किलो वॉट हैं, सोलर पावर प्लाण्ट से जनरेट किये गये विद्युत का उत्पादन का उपयोग उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया जाता हैं।

उपभोक्ता के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार व्हीलिंग चार्जेस काटने के पश्चात शेष यूनिट का समयोजन उपभोक्ता के देयक में कर दिया जाता हैं। माननीय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रिटेल टैरिफ आदेश वर्ष 2017–18 के

टैरिफ निर्धारण की कण्डिका 3.29 टेबल क्रमांक 80, पृष्ठ क्रमांक 90 के आदेशानुसार Other Charges रूपये 0.6460 प्रति यूनिट (छायाप्रति संलग्न हैं। ) सभी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं हेतु लागू किया गया हैं। जिसके पालन में शिकायतकर्ता से यह राशि वसूल की जा रही हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि उक्त राशि उपकर (Cess) की नहीं हैं, बल्कि Cost of Surrendered Energy due to Open Access हैं।

माननीय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ में परिवर्तन करने हेतु माननीय नियामक आयोग के समक्ष ही शिकायतकर्ता द्वारा पिटीशन प्रस्तुत की जानी चाहिये।

अनावेदक को फोरम द्वारा निर्देशित किया गया कि अतिरिक्त अधिभार की राशि 0.646 रूपये प्रति यूनिट के स्थान पर 0.7230 रूपये प्रति यूनिट एवं अतिरिक्त 27 पैसे प्रति यूनिट व्हीलिंग चार्जेज किन आदेशों के तहत आवेदक से वसूली जा रही हैं, से संबंधित दस्तावेज आगामी पेशी पर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

दिनांक 27.06.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन प्रस्तुत किया गया कि :–

1. कंपनी द्वारा यह बताया गया हैं कि माननीय म.प्र.विद्युत नियामक आयेाग के द्वारा जारी retail tarrif order 2017–18 के अनुसार यह Cost of surrendered energy due to Open Access हैं। 2017–18 में यह अतिरिक्त अधिभार रूपये 0.6460 तथा 2018–9 यह अधिभार बढ़कर 0.7230 तथा व्हीलिंग चार्ज रूपये 0.27 निर्धारित किया गया हैं, जो दिनांक 11.05. 2018 से लागू कर माह मई 2018 के बिल में काटा गया हैं। यह चार्ज (अतिरिक्त अधिभार ) हमारे संबंध में लागू नहीं होता । यह विद्युत अधिनियम 2003, 42 के पेरा (2) में स्पष्ट हैं। नियम 42 के पैरा 2 के अनुसारः ''परन्तु यह भी कि ऐसा अधिभार ऐसे मामले में उद्ग्रहणीय नहीं होगा, जहॉ निर्बाध पहुॅच ऐसे व्यक्ति को प्रदान की गई हैं, की जाती हैं, जिसने विद्युत को अपने स्वयं के उपयोग के गंतव्य तक ले जाने हेतु आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया हैं।

2. माननीय आयोग द्वारा जारी किये गये रिटेल सप्लाई टैरिफ 2018–19 में National tarrif policy 2016 का जिक्र किया गया हैं। (पेज 113)

(नेशनल टेरिफ पालिसी 2016 के पेरा 8.5.2 (पेज 25), जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया हैं, के अनुसार :

"No surcharge would be required to be paid in terms of sub-section(2) of Section 42 of the Act on the electricity being sold by the generating companies with consent of the conpetent government under Section 43(A)(1)(c) of the Electricity Act. 1948(Now repealed) and on the electricity being supplied by the distribution licensee on the authorisation by the State.

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

Government under Section 27 of the Indian Electricity Act 1910 (now repealed), till the current validity of such consent or authorisation."

उपरोक्त द्वारा यह स्प्ष्ट होता हैं कि केप्टिव पावर प्लाण्ट वाले ओपन एक्सेस पर यह अधिभार लागू नहीं होता। अतः माननीय महोदय से निवेदन हैं कि उपरोक्त संदर्भ में निर्णय करके विद्युत वितरण कंपनी को सरचार्ज न काटने हेतु निर्देशित करें।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन किया गया किः–

1. आवेदक मेसर्स ओमेगा रेंक बियरिंग प्रा.लि. उपभोक्ता कोड क्र. 1054904111 आनन्द नगर, रायसेन रोड द्वारा दिनांक 26.02.2013 को पॉवर पर्चेस का अनुबंध अनावेदक म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल के साथ किया गया था। जिसमें पेज क्रमांक 06 पैरा क्र. 01 पर यह टीप लिखी हैं माननीय विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश) के आदेश पर पॉलिसी में कोई बदलाव होता हैं तो वह आवेदक को मानना पड़ेगा, जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं, की छायाप्रति क्रमांक 01 से 03 तक संलग्न की जा रही हैं।

2. माह मई 2018 में दिनांक 11.05.2018 से जो नवीन टैरिफ लागू किया गया हैं। माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयेाग द्वारा जारी रिटेल टैरिफ आदेश वर्ष 2018–19 के टैरिफ निर्धारण की कण्डिका 4.32 पृष्ठ क्रमांक 115 के आदेशानुसार Other Charge रूपये 0.723 प्रति यूनिट (छायाप्रति संलग्न हैं) सभी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं हेतु लागू किया गया हैं। जिसके पालन में शिकायतकर्ता से यह राशि वसूल की जा रही हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि उक्त राशि (CESS) उपकर की नहीं हैं, बल्कि Cost of Surrendered Energy Due to Open Access हैं।

3. माह मई 2018 में दिनांक 11.05.2018 से जो नवीन टैरिफ लागू किया गया हैं। माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रिटेल टैरिफ आदेश वर्ष 2018–19 के टैरिफ निर्धारण की कण्डिका 4.12. टेबल क्रमांक 89 पृष्ठ क्रमांक 108 के आदेशानुसार व्हिलिंग चार्जेस रूपये 0.28 प्रति यूनिट लागू कियाा गया हैं। (छायाप्रति संलग्न हैं। सभी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं हेतु लागू किया गया हैं। जिसके पालन में शिकायतकर्ता से यह राशि वसूल की जा रही हैं।

प्रकरण में अनावेदक को निर्देशित किया गया कि Cost of Surrendered Energy Due to Open Access किस नियम के तहत ली जाती हैं, इस संबंध में लेखाधिकारी स्वयं अगली पेशी पर उपस्थित होकर उक्त को स्पष्ट करें।

दिनांक 09.07.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अनावेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन प्रस्तुत किया गया कि Cost of Surrendered Energy Due to Open Access जो कि माननीय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रिटेल टैरिफ आदेश वर्ष 2018–19 के टैरिफ निर्धारण की कण्डिका 3.28 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार ली जाती हैं, जो निम्नानुसार हैंः–

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

"As per the provosion specified in the clause 5.8.3 of the National Electricity Policy] Section 42(4) of the Electricity Act 2003 besides relevent clause 13.1 of MPERC (Term & condition for open Access in MP) Regulation, 2005 and determined additional surcharge on a yearly basis for open Access consumer of the State in addition to levy of Cross subsidy surcharge specified in Tariff policy 2016" (जिसकी छायाप्रति संलग्न हैं।)

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (2) में दर्शाये अनुसार ''परन्तु यह भी ऐसा सरचार्ज (अधिभार) उस दशा में, उगाहने योग्य/उपग्रहणीय अधिरोपण योग्य नहीं होगा, जब उस व्यक्ति को निर्वाध बिना बाधा के खुली पहुँच (Open Access) स्वतंत्र आजादीपूर्वक प्रदान की गई हैं। जिसने अपने स्वयं के उपयोग किये जाने के गंतव्य (To the destination) तक विद्युत ले जाने के लिये केप्टिव पावर प्लाण्ट स्थापित किया हैं।

ऐसी स्थिति में क्या अनावेदक कंपनी द्वारा आवेदक से अतिरिक्त सरचार्ज (अधिभार) लिया जाना उचित हैं? यदि इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता हैं तो फोरम द्वारा निर्धारित आगामी तिथि पर प्रस्तुत करें।

दिनांक 04.08.2018 को फोरम के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्रमांक 3160/2016 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2016 के पृष्ठ क्रमांक 11 के बिन्दु क्रमांक 37 में अनावेदक राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत एडिशनल सरचार्ज की व्याख्या, जो कि निम्न अनुसार हैं, उसे मान्य किया गया है।

"From the purview of levy of additional surcharge, is totally misconceived. It is submitted that the Act of 2003 does not exempt captive generating plants from being eligible to pay the additional surcharge on the charges of wheeling as would be clear from a reading of section 42/4."

उक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता मेसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर की याचिका माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा खारिज की जा चुकी हैं।

अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि वितरण कंपनी द्वारा एडीशनल सरचार्ज की वसूली माननीय विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आर्डर के प्रावधानों के अनुरूप की जा रही हैं। माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा एडीशनल सरचार्ज के निर्धारण एवं उन्हें लागू करने में वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 52/2016 में पूर्ण प्रक्रिया अनुसार जिसमें, लोक सुनवाई एवं प्रभावित होने वाले पक्षों (उपभोक्ताओं से) से आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित कर उन्हें संज्ञान में लेने के बाद ही लागू की गई हैं। माननीय नियामक आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 52/2016 की जन सुनवाई के पब्लिक नोटिस क्रमांक MPERC/D(RE)/2016/1976 दिनांक 14.12.2016 की प्रति माननीय फोरम के अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

अनावेदक द्वारा माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत जारी रेग्युलेशन एवं आदेशों के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि आवेदक के आवेदन को निरस्त करते हुए प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

फोरम द्वारा अनावेदक से यह जानकारी चाही गई कि आवेदक के विद्युत बिलों में 27 पैसे/यूनिट व्हीलिंग चार्जेज एवं 72.3 पैसे एडीशनल सरचार्ज की राशि बिल की गई हैं। क्षेत्रीय लेखाधिकारी, शहर वृत्त, भोपाल से जानकारी लिये जाने पर खुदरा टैरिफ आदेश के अन्तर्गत ली जा रही हैं। क्या यह राशि व्हीलिंग चार्जेज 6 प्रतिशत के ऊपर 27 पैसे एवं 72.3 पैसे हैं ? कृपया स्पष्ट करें क्योंकि, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(2) में यह स्पष्ट किया गया हैं कि :–

"Provided that [such open access shall be allowed on payment of a surcharge] in addition of the charges for wheeling as may be determined by the State Commission:

Provided further that such surcharge shall be utilised to meet the requirements of current level of cross subsidy within the area of supply of the distribution licensee:

Provided also that such surcharge and cross subsidies shall be progressively reduced[.....] in the manner as may be specified by the State Commission:

Provided also that such surcharge shall not be leviable in case open access is provided to a person who has established a captive generating plant for carrying the electricity to the destination of his own use."

एवं धारा 42(4) में स्पष्ट किया गया हैं किः–

"Where the State Commission permits a consumer or class of consumers to receive supply of electricity from a person other than the distribution licensee of his area of supply, such consumer shall be liable to pay an additional surcharge on the charges of wheeling, as may be specefied by the State Commission, to meet the fixed cost of such distribution licensee arising out of his obligation to supply."

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि विद्युत इलेक्ट्रिीसिटी एक्ट 2003 के नियम 42(2) के अनुसार यह स्पष्ट हैं कि कैप्टिव पावर प्लाण्ट को किसी भी प्रकार को अधिभार लागू नहीं होगा। 42(2) में लिखा गया हैं कि ''परन्तु यह भी कि ऐसा अधिभार ऐसे मामले में उद्ग्रहणीय नहीं होगा, जहॉ निर्बाध पहुँच ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं, जिसने विद्युत को अपने स्वयं के उपयोग के गंतव्य तक ले जाने हेतु आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया हैं।

(2) अनावेदक द्वारा (इलेक्ट्रिसिटी 2003 के 42(4) का जिक्र किया गया हैं– जिसके अनुसार ''जहाँ राज्य आयोग किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को अपने प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति से विद्युत प्रदाय प्राप्त करने के

लिये अनुज्ञात करता हैं। वहॉ ऐसा उपभोक्ता ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रदाय करने की बाध्यता से उदभूत नियत लागत को पूरा करने के लिये राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट चक्रण प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार का संदाय करने का दायी होगा।''

उपरोक्त एक्ट 42(4) के अनुसार सिर्फ व्हीलिंग पर अधिभार लागू करने के बारे में लिखा गया हैं ज्ञात होवे कि हमारे द्वारा 6% की दर से व्हीलिंग चार्जेज दिया जा रहा हैं। यह चार्ज व्हीलिंग अधिभार की राशि जो कि वर्तमान में 28 पैसे प्रति यूनिट से भी ज्यादा हैं। अतः अतिरिक्त व्हीलिंग अधिभार लगाने की आवश्यकता नीति पूर्ण नहीं लगती हैं।

(3) अनावेदक द्वारा माननीय सदस्यों के समक्ष यह बताया गया कि 72.3 पैसे तथा 28 पैसे व्हीलिंग चार्जेज के तहत लिए जा रहे हैं, जो कि गलत हैं तथा माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा लागू किये गये टैरिफ आर्डर में ऐसा निर्देशित नहीं हैं। (टैरिफ आर्डर 2018–19 की प्रतिलिपि संलग्न हैं। )

(4) अनावेदक द्वारा माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा लागू किये गये टैरिफ आर्डर को देखते हुए एडिशनल सरचार्ज तथा व्हीलिंग सरचार्ज जो कि माह दिसम्बर 2017 से विद्युत बिल में लगाया गया हैं। इसका कोई आदेश हम उपभोक्ता को नहीं दिया गया हैं।

(5) एडिशनल सरचार्ज जो कि वर्तमान में 72.3 पैसे प्रति यूनिट वसूला जा रहा हैं। हमारे कैप्टिव पावर प्लाण्ट जैसा कि एक्ट 2003 के रूल 42(2) के अनुसार लागू नहीं होता। (माह जुलाई 2018 की विद्युत बिल की कॉपी संलग्न हैं, जिसमें एडिशनल सरचार्ज तथा व्हीलिंग दोनों को जोड़ कर रूपये 1.003 प्रति सोलार यूनिट का चार्ज लगाया गया हैं। )

अतः महोदय से निवेदन हैं कि उपरोक्त दोनों चार्जेज (एडिशनल सरचार्ज तथा व्हीलिंग अधिभार) को लागू न करने हेतु आदेशित किया जायें। हमारे द्वारा यह राशि अण्डर प्रोटेस्ट के द्वारा हर माह जमा की जा रही हैं।

आवेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

(1) माननीय फोरम द्वारा अनावेदक से यह जानकारी माँगी गयी थी कि आवेदक मेसर्स ओमेगा रैंक बियरिंग प्रा.लि. भोपाल के विद्युत देयकों में 0.28 पैसे व्हीलिंग चार्जेस एवं 0.723 पैसे अतिरिक्त सरचार्ज की जो राशि बिल की गयी हैं, वह राशि उपभोक्ता द्वारा किये गये विद्युत उत्पादन की कुल खपत का 6 प्रतिशत व्हीलिंग चार्जेस कम करने के पश्चात बाकी सभी खपत पर दी जा रही हैं।

(2) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(2) में यह स्पष्ट किया गया हैं कि जो उपभोक्ता विद्युत उत्पादन का उपयोग स्वयं के लिये करते हैं, उस पर अतिरिक्त सरचार्ज

की गयी राशि देय नहीं हैं एवं धारा 42(4) में स्पष्ट किया गया हैं कि जो उपभोक्ता ओपन मार्केट से बिजली का क्रय करते हैं उस पर सभी चीजें जैसे क्रास सब्सिडी, व्हीलिंग चार्जेस एवं अतिरिक्त सरचार्ज लागू हैं।

(3) माननीय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत याचिका क्र. 52/2016 में पूर्ण प्रक्रिया अनुसार लोक सुनवाई एवं प्रभावित होने वाले पक्षों, (उपभोक्ताओं से) आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित कर उन्हें संज्ञान में लेने के बाद लागू की गयी हैं। माननीय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार उक्त चार्जेस जो सभी उपभोक्ता ओपन एक्सेस की श्रेणी में आते हैं। अतिरिक्त सरचार्ज जोड़कर बिल जारी किया जा रहा हैं। उक्त आदेश में यह स्पष्ट नहीं होता है कि जो उपभोक्ता विद्युत का उत्पादन का उपयोग स्वयं के लिये करते हैं, उन पर लागू नहीं हैं। अतः इस कार्यालय द्वारा ओपन एक्सेस के सभी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाकर बिल जारी किया जा रहा हैं।

दिनांक 11.09.2018 को फोरम के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि माननीय फोरम के आदेशानुसार उनके कार्यालय द्वारा मुख्यालय से पत्राचार किया गया। प्रकरण में मुख्यालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.09.2018(छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया हैं कि MPERC (Cogeneration & Generation of Electricitiy from Renewable Sources of Energy (Rev-I)(Regu-2010) में जारी सातवे संशोधन द्वारा विनियम की कण्डिका 12.2 मु हुए संशोधन उपरांत नवकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर रहें सभी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से लिये जाने वाले व्हीलिंग चार्ज एवं केप्टिव उपभोक्ताओं के लिये अतिरिक्त सरचार्ज की प्रयोज्यता के संबंध में माननीय नियामक आयोग से पत्राचार किया गया हैं, जिसका प्रति उत्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है। उपरोक्त के दृष्टिगत माननीय फोरम से निवेदन हैं कि उक्त प्रकरण में माननीय नियामक आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक यथा स्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि हमने अपने पक्ष में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (2) एवं 42 (4) में दिये गये निर्देशों के संबंध में स्पष्ट रूप से अपना पक्ष फोरम के समक्ष पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका हैं। जिसमें केप्टिव पावर प्लाण्ट के संबंध में खुली पहुॅच के माध्यम से विद्युत के उपयोग के बारे में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। अब प्रकरण में हमें और कोई कथन नहीं करना हैं। फोरम से निवेदन हैं कि चाही गई वांछित राहत हमें प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदक मेसर्स ओमेंगा रैंक बीयरिंग प्रा.लि. भोपाल द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु स्थापित किये गये सोलर प्लांट में उत्पादित विद्युत ऊर्जा को खुली पहुॅच (Open access) के माध्यम ही संस्थान में उपयोग हेतु ले जाये जाने पर अनावेदक कंपनी द्वारा व्हीलिंग चार्ज के अतिरिक्त माह दिसम्बर 2017 से अतिरिक्त सरचार्ज की वसूली किये जाने से व्यथित होकर अपना शिकायत आवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

फोरम द्वारा प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक को अपना–अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया। प्रकरण की सुनवाई में आवेदक द्वारा कथन किया कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 42 (2) के अनुसार यह स्पष्ट है कि उनके केप्टिव पॉवर प्लांट पर किसी भी प्रकार का अधिभार लागू नही होगा। धारा 42 (2) में लिखा गया है कि ''परन्तु यह भी कि ऐसा अधिभार ऐसे मामले में उदग्रहणीय नही होगा, जहॉ निबधि पहुॅच ऐसे को प्रदान की जाती है, जिसने विद्युत को अपने स्वयं के उपयोग के गंतव्य तक ले जाने हेतु आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है''

दिनांक 07.07.2018 को फोरम द्वारा दिये गये निर्देश के संदर्भ में अनावेदक द्वारा प्रकरण में सुनवाई के दौरान अपने लिखित कथन दिनांक 03.08.2018 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 42 (2) के प्रोविजन 4 के संबंध में स्पष्ट किया कि :–(A) That a plain reading of Provision 4 of Section 42 makes it clear that there is no Additional Surcharge word mentioned in the entire section 42 (2) of the Act. Further section 42(2) and the provisions appended about a surcharge which is leviable on the quantum of cross subsidy charge as decided by the commission.

(B) That on the other hand the Additional surcharge appears only in section 42 (4) of the Act which makes it clear that such additional surcharge shall be leviable on the charges of wheeling, as may be specified by state commission to meet the fixed cost of such didtribution licensee arising out of his obligation to supply.

अनावेदक द्वारा आगे **Legality of imposition and levy of Additional surchrage**के अंतर्गत लिखित कथन किया कि :–That the MPERC which deciding a joint petition No 52/2016, presented by allThree Discoms to impose Additional Surcharge on all open acess consumers for meeting short fall in Revenue due to Surrendered power, MPERC called objection from all stake holders and after due deliberation in public hearing, surcharge vide its ARR & Tariff order 2017-18 and 2018-19 the said of order has never been challeged by applicant in any higher forum and therefore has become final and binding.

फोरम ने पाया कि अनावेदक द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा की धारा 42 की उपधारा (2) से (4) के प्रावधानों को अधूरे ढंग से उद्धरित किया गया है। धारा 42 (2) से 42 (4) निम्नानुसार उद्धरित है :–

**धारा 42(2) The State Commission shall introduce open access in such phases and subject to such conditions, (including the cross subsidies, and other**

**Operational constraints) as may be specified within one year of the appointed date by it and in specifying the extent of open access in successive phase and in determining the charge for wheeling, it shall have due regard to all relevant factors including such cross subsidies, and other operational constraint:**

**"Provided that [such open access shall be allowed on payment of a surcharge] in addition of the charges for wheeling as may be determined by the State Commission:**

**Provided further that such surcharge shall be utilised to meet the requirements of current level of cross subsidy within the area of supply of the distribution licensee:**

**Provided also that such surcharge and cross subsidies shall be progressively reduced[.....] in the manner as may be specified by the State Commission:**

**Provided also that such surcharge shall not be leviable in case open access is provided to a person who has established a captive generating plant for carrying the electricity to the destination of his own use."**

**[2][ Provided also that the state Government shall, not later than five years from the date of commencement of the Electricity (Amendment) ACt, 2003 by regulations, provide such open access to all consumers who require a supply of electricity where the maximum powers to be made available at any time exceeds one megawatt.]**

**(3) Where any person, whose premises are situated within the area of supply of a distribution licensee, (not being a local authority engaged in the business of distribution of electricity before the appoined date) requires a supply of electricity from a generating company or any licensee other than such distribution licensee, such person may, by notice, require the distribution licensee for wheeling such electricity in accordance with regulations made by the state commission and the duties of the distribution licensee with regulations made by the state commission and the duties of the distribution licensee with respect to such supply shall of a common carrier providing non-discriminatory open access.**

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

**(4) Where the state commission permits a consumer or class of consumers to receive supply of electricity from a person other than the distribution licensee of his area of supply, such consumers shall be liable to pay an additional surcharge on the charges of wheeling, as may be specified by the state commission, to meet the fixed cost of such distribution licensee arising out of his obligation to supply.**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जहॉ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 कीधारा 42 (2) के प्रथम प्रावधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ''Such open access shall be allowed on Payment of a surcharge''in addition of the charges for wheeling as may be determined by the State Commission:वही उसी धारा के चतुर्थ प्रावधान में यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि ''..... Such surcharge shall not be leviable in case open access is provided to a person who has established a captive generating plant for carriying the electricity to the destination of his own use.''

फोरम के समक्ष प्रस्तुत आवेदन, साक्ष्य, दस्तावेजो एवं कथनों के अनुसार आवेदक द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित की गयी विद्युत ऊर्जा का Open accessके माध्यम से स्वयं के कारखाने में उपयोग किया जाता है। अतः अनावेदक द्वारा आवेदक के इनर्जी बिल मेंOpen access के मद में लगायी जा रही है अतिरिक्त सरचार्ज की राशि मान्य करने योग्य नही पायी गयी।

अनावेदक द्वारा यह भी कथन किया गया कि तीनों वितरण कंपनियों द्वारा Electricity act 2003 की धारा 42 (4) के अंतर्गत आने वाले Open access Consumers के कारण उनके राजस्व में कमी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से Open access Consumers परलगाये जाने वाले अतिरिक्त सरचार्ज की दर की स्वीकृति हेतु एक याचिका क्रमांक 52/2016 म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के समक्ष लगायी गयी थी। जिस पर विस्तृत सुनवाई के पश्चात नियामक आयोग द्वारा अतिरिक्त सरचार्ज लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस संबंध में अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का एवं म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश वर्ष 2017–18 की संबंधित कंडिकाओं का फोरम द्वारा आवलोकन एवं परीक्षण किया गया। टैरिफ आदेश वर्ष 2017–18 में ''Determination of Additional Surcharge'' के अंतर्गत कंडिका 3.25 में निम्नानुसार उल्लेख है :–" The Petitioners have further submitted that in view of the above, they have filed a seperate petition (P.No. 52/2016) before the commission for levy of additional surcharge under the provisions of section 42 (4) of the Electricity Act 2003...."

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के पब्लिक नोटिस क्रमांक 1976 दिनांक 14.12. 2016 में भी उल्लेख है, " ....The Petitioners have filed a petition before the commission for determination of additional surcharge for open access customers purchasing power From within/out side the state of Madhya Pradesh in accordance with section 42 (4) of the Electricity Act 2003....."

और जैसा कि इलेक्टिसिटी एक्ट 2003 की धारा 42 (4) में स्पष्ट उल्लेख है, वितरण कंपनियों द्वारा उपरोक्तानुसार याचिका क्रमांक 52/2016 ऐसे Open accessउपभोक्ताओं से अतिरिक्त सरचार्ज के निर्धारण हेतु लगायी गयी, जो वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र में स्थित है परंतु Open access के माध्यम से अन्य विद्युत उत्पादक से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे है। स्पष्ट है नियामक आयोग द्वारा दिया गया आदेश ऐसे Open access उपभोक्ताओं के लिये लागू नही जो स्वयं द्वारा स्थापित पावर प्लांट से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग स्वयं के लिये कर रहे है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर फोरम द्वारा आवेदक के आवेदन को मान्य करते हुये अनावेदक द्वारा लगायी जा रही अतिरिक्त सरचार्ज की बिलिंग को निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के इनर्जी बिल में लगाये जा रहे Open access के मद में अतिरिक्त सरचार्ज को तत्काल बंद किया जाये तथा पूर्व में अभी तक इस मद में वसूल की गयी राशि आवेदक के आगामी विद्युत बिलों में समायोजित की जाये।

प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 24.09.2018
स्थान : भोपाल।

| (आर.के लढ़िया) | (एस.एस.मंडलोई) | (राजीव अग्रवाल) |
|---|---|---|
| सदस्य (राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | अध्यक्ष |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक/वि.उ.शि.नि.फोरम/ भोपाल, दिनांक /09/2018

प्रति,
मेसर्स औमेगा रेंक बैरिगस प्रायवेट लिमि.,
आनन्द नगर भोपाल, (म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-07/2018दिनॉक 16.05.2018 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-07/2018दिनॉक 16.05.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 14.09.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

प्रतिलिपि –

1. महाप्रबंधक (सं./सं.) वृत्तम.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल। (म.प्र.) – ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–07/2018 दिनांक 16.05.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 14.09.2018इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी.07/2018

16.05.2018

मेसर्स औमेगा रेंक बैयरिंग प्रायवेट लि.मि,
आनन्द नगर भोपाल (म.प्र.)(आवेदक)

**विरुद्ध**

महाप्रबंधक,(सं./सं.) वृत्त (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., भोपाल (म.प्र.)

**आदेश**

**आज–14.09.2018 को पारित किया गया।,**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/07दिनॉक 16.05.18 को पंजीकृत कर दिनॉक 12.06.2018, 27.06.2018 एवं09.07.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि :–

With reference to above cited subject we would like to inform you that we have 3 captive solar power plants under REC scheme, situated at Bilkheria district Bhopal (M.P.) Plants capacities are 695 kwp, 655kwp and 105 kwp. Units generated by these three solar plants is adjusted in our main electricity bill 33/0.400kv, 1600KVA substation a (MD 1250 KVA) after 6% wheeling charges deduction.

We are paying electricity bill for consumed electricity at our three solar plants as mentioned above. As per tripartite agreement we are allowed to use electricity at all solar plant and we were paying for consumed units (which are mostly

transformer losses during the evening/night period as per tariff as per the agreement (para 11.2, Tariff HV 7.1). Copy of argeement for 695 KWp is attached. From January 2018 tariff of as three solar plant has been changed in all three electricity bill (From HV 7.1 to HV 3.1 without any information to us. The new tariff is resulting in extra expenditure on us. As we not getting any advantage of REC sales and govt. has levied such surcharges.

We need your intervention this issue for change in Electrical bills as per HV 7.1 for consumed units at all three solar plant. We should get the bills as per the agreement. we have paid all the new levies under protest copy of latter is enclosed.

It is also important to point out that we have given our own land to MPMKVVCLtd and constructed complete 33/11 KV, 5MVA substations at our own cost. This was to support to the cause of the village Bilkheria and further division of 33 KV 11 KV feeders for rural electrification. The charges for this activity was about rupees one crore. in view of above please treat our case sympathetically.

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया किउपभोक्ता मेसर्स ओमेगा रेंक बियरिंग प्रा. लि. के सोलर ऊर्जा उत्पादन के तीन प्लांट स्थापित है जो कि आर.ई.सी. स्किम के तहत् ग्राम बिलखिरिया जिला भोपाल में स्थापित किये गये है। उक्त प्लांट हेतु विद्युत कनेक्शन 08 अप्रैल 2013, 04 मई 2013, एवं 19 जून 2014 को प्रदाय किये गये।

उपरोक्त कनेक्शन हेतु मेसर्स ओमेगा रेंक बियरिंग प्रा.लि (सोलर उत्पादक), म.प्र. पावर मेनेजमेंट कं.लि. जबलपुर, मेसर्स ओमेगा रेंक बियरिंग प्रा.लि (डेवलेपर), म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी भोपाल के मध्य (Power Purchase and wheeling agreement for Renewable energy based power plant under REC mechanism) का अनुबंध निष्पादित किये गये।

अनुबंध की शर्त क्रमांक 11.2 के अनुसार उपभोक्ता के सोलर ऊर्जा उत्पादित संयंत्र को म.प्र. नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आर्डर HV.7 अनुसार देयक जारी किये जा रहे थे, परन्तु दिनांक 17.11.2017 को म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मध्य प्रदेश राजपत्र क्र. 46 भाग 4 (ग) के अनुसार (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतो से विद्युत सह उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2010 में सातवां संशोधन ARG-33 (I) (vii) वर्ष 2017 उपरोक्त विनियम में विद्यमान विनियम 8,9,10, एवं 12.2 में संशोधन किया गया।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

सातवें संशोधन में नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन/विद्युत सह–उत्पादन, ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के लिए अथवा उसके संयंत्र से विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि के दौरान अथवा ऐसी अन्य आकस्मिकता के दौरान पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के विस्तृत रूप से केवल उनके स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत के आहरण हेतु हकदार होगें। ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्याकालन के दौरान प्राप्त की गई ऊर्जा की बिलिंग खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में तुल्याकालन के लिए टैरिफ, अनुसूची के अधीन अवधि एवं दर पर की जायेगी। अन्य प्रकरणों में यह बिलिंग उच्चदाब औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार की जायेगी।

उपरोक्त संशोधन में विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि के दौरान उपभोक्ता को निष्पादित अनुबंध अनुसार टैरिफ आर्डर HV.7 के अनुसार बिलिंग करना है किन्तु टैरिफ आर्डरHV.7 के नियम एवं शर्तो के अनुसार ऊर्जा उत्पादक के संयंत्र से विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि एक बार में 2 घण्टे से ज्यादा नही होनी चाहिए। जबकि उपभोक्ता के ऊर्जा उत्पादक संयंत्र से विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि प्रतिदिन 2 घण्टे से अधिक रही है। उक्त परिस्थिति में सातवें संशोधन अनुसार बिलिंग उच्चदाब औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार की जायेगी।

उक्त सातवां संशोधन म.प्र. राजपत्र की प्रतिलिपि दिनांक 05.01.2018 को इस कार्यालय के उच्चदाब शाखा में पदस्थ कार्यालय सहायक द्वारा अपनी ई–मेल आई.डी. rsaxena.2501@gmail.com के माध्यम से उपभोक्ता के यहॉ कार्यरत कर्मचारी की ई–मेल आई.डी manoj.tare@omegarank.comपर प्रेषित की गयी थी। अतः उपभोक्ता का यह कथन सही नही है कि उसे सूचना नही दी गई।

अतः उपरोक्त नवीकरणीय विनियम 10 में संशोधन अनुसार मेसर्स ओमेगा रेंक बियरिंग प्रा.लि. के तीनों कनेक्शनो की बिलिंग टैरिफ आर्डरHV.7से परिवर्तित कर औद्योगिक श्रेणीHV 3.1 के अंतर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार बिलिंग कर देयक जारी किये जा रहे है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

दिनांक 12.06.2018 को फोरम के समक्ष आवेदक मेसर्स ओमेगा रेंक बैरिंग्स प्राय. लिमि., आनन्द नगर, भोपाल की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि श्री सुशील प्रकाश, मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि माननीय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2010 में सातवॉ संशोधन {एआरजी–33(I)(vii)} वर्ष 2017 के

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

बिन्दु क्रमांक 10. **नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन/विद्युत सह–उत्पादन से विद्युत का आहरणः–**

नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन/विद्युत सह–उत्पादन, ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के लिए अथवा उसके संयंत्र से विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि के दौरान अथवा ऐसी अन्य आकस्मिकता के दौरान पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से विस्तृत रूप से केवल उनके स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत के आहरण हेतु हकदार होंगे। ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के दौरान प्राप्त की गई ऊर्जा की बिलिंग, खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में तुल्यकालन के लिए टैरिफ अनुसूची के अधीन अवधि एवं दर पर की जाएगी। अन्य प्रकरणों में, यह बिलिंग उच्च दाब औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार की जाएगी।

उपरोक्त बिन्दु के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र में :–

1. सौर ऊर्जा संयंत्र के तुल्यकालन के लिये विद्युत के आहरण की विशेष जरूरत नहीं होती हैं।

2. विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि में भी विद्युत के आहरण की विशेष आवश्यकता नहीं हो

3. आकस्मिकता के दौरान भी विद्युत के आहरण की विशेष आवश्यकता नहीं होती हैं।

सौर ऊर्जा संयंत्र में विद्युत की आवश्यकता हमेशा बनी रहती हैं।

1. ट्रांसफार्मर के चार्जिंग हेतु, रात्रि में विद्युत उत्पादन न होने की स्थिति में ग्रिड से विद्युत आहरण की आवश्यकता रहती हैं।

2. यह सौर ऊर्जा संयंत्र ट्रेकर पद्धति पर आधारित हैं। अतः रात्रि में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर ट्रेकर को घुमाने के लिये विद्युत आहरण की आवश्यकता रहती हैं।

3. दिन के समय में भी बादल आ जाने पर विद्युत उत्पादन बंद हो जाता हैं, तब भी विद्युत आहरण की आवश्यकता रहती हैं।

अतः सौर ऊर्जा के उत्पादन में अस्थायी कनेक्शन के स्थान पर स्थायी कनेक्शन की आवश्यकता रहती हैं। अतः हमारे संयंत्र को अस्थायी कनेक्शन के स्थान पर स्थायी कनेक्शन के रूप में देखा जायें। जो कि ओपन एक्सेस पॉलिसी के तहत भी तर्क संगत हैं।

दिनांक 27.06.2018 को फोरम के समक्ष अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री राकेश सक्सेना, कार्यालय सहायक श्रेणी–3 द्वारा प्रकरण में लिखित कथन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मेसर्स ओमेगा रेंक बियरिंग प्रा.लि. के सोलर ऊर्जा उत्पादन के

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

तीन प्लाण्ट स्थापित हैं जो कि आर.ई.सी. (Renewable Energy Certificate) के तहत ग्राम बिलखिरिया जिला भोपाल में स्थापित किये गये हैं। उक्त प्लाण्ट हेतु विद्युत कनेक्शन दिनांक 08 अप्रैल 2013, 04 मई 2013 एवं 19 जून 2014 को प्रदाय किये गये।

उपरोक्त कनेक्शन हेतु मेसर्स ओमेगा रेंक बियरिंग प्रा.लि. (सोलर उत्पादक) म.प्र. पावर मेनेजमेण्ट कं.लि. जबलपुर, मेसर्स ओमेगा रेंक बियरिंग प्रा.लि. (डेव्हलेपर) म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., भोपाल के मध्य (Power Purchase and wheeling agreement for Renewable energy based power plants under REC mechanism) का अनुबंध निष्पादित किये गये।

अनुबंध की शर्त क्रमांक 11.2 के अनुसार उपभोक्ता के सोलर ऊर्जा उत्पादित संयंत्र को म.प्र. नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आर्डर HV-7 अनुसार देयक जारी किये जा रहे थें, परन्तु दिनांक 17.11.2017 को म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मध्य प्रदेश राजपत्र 4 (ग) के अनुसार (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत सह उत्पादन तथा उत्पादन)(पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2010 में सातवां संशोधन ARG-33(I) (VII) वर्ष 2017 उपरोक्त विनिमय में विद्यमान विनियम 8,9,10 एवं 12.2 में संशोधन किया गया।

सातवें संशोधन में नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन/विद्युत सह उत्पादन, ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के लिए अथवा उसके संयंत्र से विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि के दौरान अथवा ऐसी अन्य आकस्मिकता के दौरान पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से विस्तृत रूप से केवल उनके स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत के आहरण हेतु हकदार होंगे। ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के दौरान प्राप्त की गई ऊर्जा की बिलिंग खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में तुल्याकालन के लिए टैरिफ, अनुसूची के अधीन अवधि एवं दर पर की जायेगी। अन्य प्रकरणों में यह बिलिंग उच्च दाब औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार की जायेगी।

उपरोक्त संशोधन में विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि के दौरान उपभोक्ता को निष्पादित अनुबंध अनुसार टैरिफ आर्डर HV-7 के अनुसार बिलिंग करना हैं, किन्तु टैरिफ आर्डर HV-7 के नियम एवं शर्तों के अनुसार ऊर्जा उत्पादक के संयंत्र से विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि एक बार में 2 घण्टे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि उपभोक्ता के ऊर्जा उत्पादक संयंत्र से विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि प्रतिदिन 2 घण्टे से अधिक रही है। उक्त परिस्थिति में सातवें संशोधन अनुसार बिलिंग उच्चदाब औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार की जायेगी।

उक्त सातवां संशोधन म.प्र. राजपत्र की प्रतिलिपि दिनांक 05.01.18 को इस कार्यालय के उच्च दाब शाखा में पदस्थ कार्यालय सहायक द्वारा अपनी ई–मेल आई.डी. rsaxena.2501@gmail.com के माध्यम से उपभोक्ता के यहॉ कार्यरत कर्मचारी की ई–मेल आई.डी manoj.tare@omegarank.com पर प्रेषित की गयी थीं। अतः उपभोक्ता का यह कथन सही नहीं हैं कि उसे सूचना नहीं दी गई।

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

अतः उपरोक्त नवीकरणीय विनिमय 10 में संशोधन अनुसार मेसर्स ओमेगा रेंक बियरिंग प्रा.लि. के तीनों कनेक्शनों की बिलिंग टैरिफ आर्डर HV-7 से परिवर्तित कर औद्योगिक श्रेणी HV-3.1 के अंतर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार बिलिंग कर देयक जारी किये जा रहे हैं।

आवेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि हमारे यहॉ बिलखिरिया स्थित 3 सोलर कैप्टिव पावर प्लाण्ट स्थित हैं( 105 Kwp, 655 Kwp and 659 Kwp) . इन तीनों सोलर पावर प्लाण्ट द्वारा उत्पादित यूनिटस को 6% व्हीलिंग चार्जेज काटने के बाद बची हुई यूनिटस को हमारे आनंद नगर स्थित बेअरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मासिक विद्युत बिल में समायोजन किया जाता हैं जो कि हमारे द्वारा तीनों सोलर प्लाण्ट का Tripartite अनुबंध के अनुसार किया जा रहा हैं। तीनों सोलर प्लाण्ट में रात को जब सोलर प्लाण्ट बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं। इस दौरान प्लाण्ट को लगाने वाली बिजली की खपत जो कि मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर चार्जिंग में खर्च होती हैं, का भुगतान हमारे द्वारा Tripartite अनुबंध के अनुसार लागू किये गये टैरिफ प्लान (अनुबंध के पेरा क्रमांक 11.2, टैरिफ HV -7.1 ) के अनुसार किया जा रहा था। एग्रीमेण्ट के पैरा क्रमांक 11.2 की कॉपी संलग्न हैं। माह जनवरी 2018 से कंपनी ने बिना कोई कारण बताये टेरिफ HV-7.1 से HV-3.1 कर दिया गया हैं, जिसकी वजह से कंपनी पर अतिरिक्त भुगतान का भार बढ़ चुका हैं। कंपनी द्वारा बिल का भुगतान के तहत (Under Protest) किया जा रहा हैं।

दिनांक 09.07.2018 को फोरम के समक्ष अनावेदक कंपनी की ओर से उपस्थित होकर श्री संजीव सिंह, उप महाप्रबंधक(बी.आई.सेल) संचा./संधा. वृत्त, भोपाल द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि नवीनीकरण स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन/विद्युत सह उत्पादन, ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के लिए अथवा उसके संयंत्र से विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि के दौरान अथवा ऐसी अन्य आकस्मिकता के दौरान पारेषण/वितरण अनुज्ञतप्तिधारी के नेटवर्क से विस्तृत रूप से केवल उनके स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत के आहरण हेतु हकदार होंगे। ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के दौरान प्राप्त की गई ऊर्जा की बिलिंग खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में तुल्याकालन के लिए टैरिफ, अनुसूची के अधीन अवधि एवं दर पर की जायेगी। अन्य प्रकरणों में यह बिलिंग उच्च दाब औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार की जायेगी। जहॉ तक प्रश्नाधीन प्रकरण में स्वयं के विद्युत हेतु विद्युत के आहरण का प्रश्न हैं, तुल्यकालन के लिये विद्युत का उपयोग सोलर इनर्जी प्लाण्ट में टैरिफ के अनुसार ही किया जा रहा हैं।

आवेदक मेसर्स ओमेगा रेंक बैरिंग्स प्राय.लिमि., आनन्द नगर, भोपाल द्वारा सूर्यास्त के पश्चात स्वयं के उपयोग हेतु उपकेन्द्र में स्थापित उपकरणों के लिये विद्युत का इस्तेमाल किया जा रहा हैं। पिछले कुछ माहों में आवेदक के स्वयं के उपयोग के

लिये की गई विद्युत का उपयोग 10 के.व्ही.ए. से 30 के.व्ही.ए. तक अधिकतम विद्युत भार का उपयोग का किया गया हैं। उसी के अनुपात में खपत की गई विद्युत का बिल उपभोक्ता को अस्थायी टैरिफ श्रेणी 3.1 उच्च दाब के अनुसार किया गया हैं, जो म.प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम ए.आर.जी. 33(1)(VII) 2017 के अनुरूप ही किया गया हैं। अतः अनावेदक कंपनी द्वारा आवेदक को की गई बिलिंग सही एवं देय हैं।

आवेदक की ओर से उपस्थित उनके प्रतिनिधि श्री सुशील प्रकाश, मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि जब हमने यह सोलर प्लाण्ट वर्ष 2013 में चालू किया था, तब हमसे एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया था, वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक जो बिलिंग की जा रही थी, वह टैरिफ श्रेणी एच.व्ही. 7 Synchronization and Start-up Power for generators connected to the Grid के अनुसार की जा रही थीं। वर्ष जनवरी 2018 से अचानक टैरिफ श्रेणी एच.व्ही. 7 के स्थान पर एच.व्ही. 3.1 अस्थायी टैरिफ की दर से बिलिंग की जाना शुरू कर दी गई।

जहाँ तक सोलर प्लाण्ट से विद्युत उत्पादन का प्रश्न हैं, उसमें :–

1. सौर ऊर्जा संयंत्र के तुल्यकालन के लिये विद्युत के आहरण की विशेष जरूरत नहीं होती हैं।

2. विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि में भी विद्युत के आहरण की विशेष आवश्यकता नहीं होती हैं।

3. आकस्मिकता के दौरान भी विद्युत के आहरण की विशेष आवश्यकता नहीं होती हैं।

सौर ऊर्जा संयंत्र में विद्युत की आवश्यकता हमेशा बनी रहती हैं।

1. ट्रांसफार्मर के चार्जिंग हेतु, रात्रि में विद्युत उत्पादन न होने की स्थिति में ग्रिड से विद्युत आहरण की आवश्यकता रहती हैं।

2. यह सौर ऊर्जा संयंत्र ट्रेकर पद्धति पर आधारित हैं। अतः रात्रि में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर ट्रेकर को घुमाने के लिये विद्युत आहरण की आवश्यकता रहती हैं।

3. दिन के समय में भी बादल आ जाने पर विद्युत उत्पादन बंद हो जाता हैं, तब भी विद्युत आहरण की आवश्यकता रहती हैं।

अतः सौर ऊर्जा के उत्पादन में अस्थायी कनेक्शन के स्थान पर स्थायी कनेक्शन की आवश्यकता रहती हैं।नयी सौर ऊर्जा नीति में नेट मीटरिंग के अन्तर्गत जो नये कनेक्शन प्रोत्साहित किये जा रहे हैं, क्या उपरोक्त टैरिफ श्रेणी के अनुसार बिलिंग किया जाना संभावित हैं?

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के विनियम 2017 को समझकर ऐसा प्रतीत होता हैं कि इस विनियम में और स्पष्टता की आवश्यकता हैं। जिससे अनावेदक कंपनी द्वारा इस तरह की गलत बिलिंग की जा रही हैं, उसमें स्पष्टता आये और निराकरण हो। अन्यथा शासन की रूफ टॉप सौर ऊर्जा की नीति को स्पष्टता से प्रदेश में लागू करने में असफल रहेगा। अतः माननीय फोरम एवं विद्युत नियामक आयोग से निवेदन हैं कि यदि इस विषय पर स्पष्ट नीति जारी करते है तो भविष्य में सौर ऊर्जा का उत्पादन उज्जवल रहेगा अन्यथा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी।

हमारा माननीय फोरम से निवेदन हैं कि स्पष्ट नीति आने तक अनावेदक द्वारा की गई बिलिंग को निरस्त किया जायें।

प्रकरण में आवेदक द्वारा स्वयं के उपयोग के लिये स्थापित सोलर इनर्जी प्लांट में आवश्यकता के अनुसार विद्युत के उपयोग हेतु प्रदाय किये विद्युत कनेक्शन की बिलिंग अनावेदक द्वारा माह जनवरी 2018 से अस्थाई संयोजन के लिये लागू टैरिफ से किये जाने के कारण आवेदक द्वारा बिलिंग पर आपत्ति करते हुये बिलिंग निरस्त किये जाने की मांग करते हुये फोरम के समक्ष आवेदन प्रसतुत किया गया।

इस संबंध में फोरम द्वारा प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कथन एवं दस्तावेजों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया।

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1629/म.प्र.वि.नि.आ./2017 दिनांक 15.11.2017 से जारी किये गये ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2010 में सातवॉ संशोधन {एआरजी–33 (i)(vii)} वर्ष 2017 के अनुसार विनियम 2010 की कंडिका 10 ''नवीकरणीय स्त्रोतों के विद्युत उत्पादन/विद्युत सह–उत्पादन से विद्युत का आहरण'' में निम्नानुसार संशोधन शामिल किया गया है– ''नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन/विद्युत सह–उत्पादन ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के लिये अथवा उसके संयंत्र से विद्युत प्रदाय बंद हाने की कालावधि के दौरान अथवा ऐसी अन्य आकस्मिकता के दौरान पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से विस्तृत रूप से केवल उनके स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत के आहरण हेतु हकदार होगें। ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के दौरान प्राप्त की गई ऊर्जा की बिलिंग खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में तुल्यकालन के लिये टैरिफ अनुसूची के अधीन अवधि एवं दर पर की जायेगी। अन्य प्रकरणों में यह बिलिंग उच्चदाब औधोगिक श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार की जायेगी।''

आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष अपनी शिकायत के पक्ष में समर्थन उसके द्वारा सोलर प्लांट की स्थापना के समय निष्पादित किये गयेtripartite अनुबंध की संबधित कंडिका 11.2 का उल्लेख करते हुये उसकी छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। साथ ही लिखित

कथन किया कि कंपनी द्वारा अनुबंध शर्तो को बदल दिया है जो कि अनुचित है। उक्त कंडिका में उल्लेख है –"The plant would be entitled to draw power from the Distribution/Transmission Licensee's network during synchronizing and shut down period of its plant or during any other emergencies. The supply availed would be billed as per applicable tariff schedule under "Synchronization and startup power for generators connected to the grid." In case, the company is using the same feeder for injection of power to the grid substation and drawl of power for shut down period or during any emergencies, then the energy recorded by the import meter shall be billed to the company. The drawl by the plant shall not exceed the limit specified in the Ratail supply tariff Schedule"

आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष स्वतः कथन किया कि सौर ऊर्जा संयंत्र में विद्युत की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। ट्रांसफार्मर के चार्जिग हेतु, रात्रि में विद्युत उत्पादन न होने की स्थिति में, रात्रि में पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा की ओर ट्रेकर को घुमाने के लिये, दिन के समय में बादल आ जाने पर विद्युत उत्पादन बंद हो जाने पर भी विद्युत आहरण की आवश्यकता रहती है। अतः सौर ऊर्जा के उत्पादन में अस्थायी कनेक्शन के स्थान पर स्थायी कनेक्शन की आवश्यकता रहती है।

और जैसा कि विनियम 2010 के सातवे संशोधन में प्रावधान किया गया है, सौर ऊर्जा संयंत्र में तुल्यकालन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन से विद्युत का आहरण किये जाने की स्थिति में उच्च दाब औधोगिक श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार बिलिंग की जायेगी, के अनुसार अनावेदक द्वारा आवेदक के सौर ऊर्जा संयंत्र पर प्रदाय की जा रही विद्युत की खपत की बिलिंग माह जनवरी 2018 से औधोगिक श्रेणी में अस्थाई संयोजन की दर से किया जाना फोरम द्वारा नियमानुसार एवं उचित पायी गयी।

आवेदक द्वारा प्रकरण में सुनवाई के दौरान उठाये गये अन्य नीतिगत विषय फोरम के विचारण की परिधि से बाहर होने के कारण फोरम द्वारा अपना कोई मत नही दिया जा रहा है। इस हेतु आवेदक उचित मंच पर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

प्रकरण निराकृत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक :14.09.2018
स्थान : भोपाल।

| (आर.के लढ़िया) | (एस.एस.मंडलोई) | (राजीव अग्रवाल) |
|---|---|---|
| सदस्य (राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | अध्यक्ष |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम /  भोपाल, दिनांक  / 09 / 2018

प्रति,
श्री मकसूद अली,
प्लाट नं. 63, अमन कालोनी, करोंद  भोपाल (म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-13/2018दिनॉक 25.07.2018 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-13/2018दिनॉक 25.07.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 10.09.2018 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व)म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल। (म.प्र.) – ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–13 / 2018 दिनांक 25.07.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 10.09.2018इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

**सदस्य (राजस्व एवं लेखा)**
**वि.उ.शि.नि. फोरम,**
**चांदबड़ भोपाल**

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

**पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल**

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी.13/2018

25.07.2018

श्री मकसूद अली, (आवेदक)
प्लाट नं. 63, अमन कालोनी, करोंद, भोपाल (म.प्र.)

**विरुद्ध**

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग, (पूर्व) (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
भोपाल (म.प्र.)

**आदेश**

**आज–10.09.2018 को पारित किया गया।,**

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/13दिनॉक 25.07.18 को पंजीकृत कर दिनॉक 13.08.2018 एवं 23.08.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि 05 दिसम्बर 2017 से आज दिनांक तक मासिक बिलों में असेसमेण्ट लगाया जा रहा है, जबकि मीटर जले/खराब होने की स्थिति में अथवा परिसर में ताला लगा होने की स्थिति में एक सायकल में असेसमेण्ट लगाया जाता है अन्यथा कनेक्शन को काट दिया जाता है। श्री मकसूद अली के परिसर के बाहर दीवाल पर मीटर लगा हुआ है, मीटर वर्तमान स्थिति में सही कार्य कर रहा है। आवेदक के परिसर में न तो पहले विद्युत का उपयोग हो रहा है और न ही वर्तमान में उपयोग हो रहा है। पूर्व में भी

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

5 दिसम्बर 2017 से पहले असेसमेण्ट लगाया गया था, जो कि उपमहाप्रबंधक पूर्व संभाग, भोपाल के निर्देश पर हटाया गया था। आवेदक जब भी करोंद जोन कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर गया है, तो कार्यालय में बड़ी मुश्किल से आवेदन लिया गया है और आवेदन लेने वाली जो मेडम है, उनके द्वारा आवेदक से बदतामीजी से बात की गई।

अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि हमारे बिलों में लगायी जा रही आंकलित खपत हो हटाया जाये।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया किशिकायतकर्ता मकसूद अली, प्लांट नं. 63, अमन कालोनी करोंद भोपाल, द्वारा घर बंद होने एवं मीटर घर के बाहर लगे होने के बावजूद बिल ज्यादा देने संबंधी शिकायत की गई है।

अवगत कराया जाता है कि उपभोक्ता (सर्विस क्र. 0640154377) के देयक में माह फरवरी 2018 में 140 यूनिट, माह मार्च 2018 में 200 यूनिट एवं माह अप्रैल में 350 यूनिट की अतिरिक्त खपत जोडी गई थी, जिसे हटाकर उपभोक्ता के देयक में से राशि रूपये 4686/– कम कर दिये गये है। आवश्यक संशोधन उपरांत उपभोक्ता की देयक राशि रूपये 504/– थी, जिसे उपभोक्ता द्वारा दिनांक 13.08.2018 को रूपये 504/– का भुगतान कर दिया गया है, उपभोक्ता की वर्तमान देयक राशि शून्य है।

शिकायतकर्ता की गई कार्यवाही से संतुष्ट है जिसका संतुष्टि पत्र आपके अवलोकनार्थ पत्र के साथ संलग्न है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

आवेदक द्वारा लिखित कथन किया कि मेरे बिल की आंकलित खपत हटाकर, मेरे बिल में संशोधन कर दिया गया है, जिससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ।

दिनांक 23.08.2018 को अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया किआवेदक सर्विस क्र. 0640154377 के देयक में माह फरवरी 2018 में 140 यूनिट, माह मार्च 2018 में 200 यूनिट एवं माह अप्रैल में 350 यूनिट की अतिरिक्त खपत जोडी गई थी, जिसे हटाकर उपभोक्ता के देयक में से राशि रूपये 4686/– कम कर दिये गये है। आवश्यक संशोधन उपरांत उपभोक्ता की देयक राशि रूपये 504/– थी, जिसे उपभोक्ता द्वारा दिनांक 13.08.2018 को रूपये 504/– का भुगतान कर दिया गया है, वर्तमान में आवेदक के ऊपर कोई बकाया राशि शेष नही है। आवेदक द्वारा उनकी शिकायत के निराकरण में की गई कार्यवाही से संतुष्ट प्रकट की गई है, जिसकी

**(आर.के. लढ़िया)** **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

**निरंतर.....**

प्रति माननीय फोरम के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि उक्त प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करे।

आवेदक द्वारा उनके प्रकरण के निराकरण में अनावेदक द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्टि दर्शाते हुए एक आवेदन माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा की गई कार्यवाही से आवेदक संतुष्ट है।

प्रकरण में अनावेदक एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन के अनुसार चूंकि अनावेदक द्वारा आवेदक उपभोक्ता की शिकायत का संतोषजनक निराकरण कर दिया गया है तथा जिससे आवेदक द्वारा भी अपनी सहमति व्यक्त की गयी, अतः फोरम द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 10.09.2018
स्थान : भोपाल।

| | | |
|---|---|---|
| **(आर.के लढ़िया)** | **(एस.एस.मंडलोई)** | **(राजीव अग्रवाल)** |
| सदस्य (राजस्व एवं लेखा) | सदस्य (अभियांत्रिकी) | अध्यक्ष |